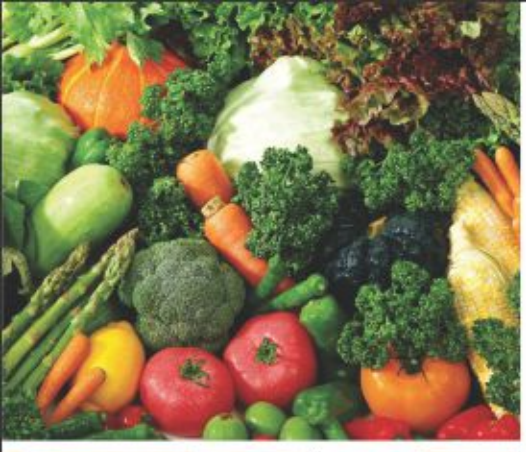

एपीडा
APEDA

वार्षिक रिपोर्ट
ANNUAL REPORT
2014-15

विषय सूची

1. एपीडा की स्थापना
   - 1.1 निर्दिष्ट कार्य
   - 1.2 परिवीक्षित उत्पाद
   - 1.3 एपीडा प्राधिकरण का गठन
   - 1.4 प्रशासनिक ढ़ांचा
   - 1.5 एपीडा के आभासी कार्यालय
2. प्राधिकरण की बैठकें और सांविधिक कार्य
   - 2.1 निर्यातकों का पंजीकरण
   - 2.2 व्यापार सूचनाओं तथा पंजीकरण एवं आबंटन प्रमाण–पत्रों का जारी करना
   - 2.3 चीनी के आयात हेतु कोन्ट्रावटों का पंजीकरण
   - 2.4 राजभाषा अधिनियम का कार्यान्वयन
   - 2.5 वित्तीय सहायता योजनाएं
3. निर्यात कार्य–निष्पादन
4. महत्वपूर्ण उपलब्धियां
5. अवसंरचना का विकास
6. गुणवत्ता विकास
7. उत्पाद क्षेत्रों की विकासपूर्ण गतिविधियां
8. अन्तर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय कार्यक्रमों में प्रतिभागिता
9. जैविक उत्पादन हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम (एन पी ओ पी)
10. पूर्वोत्तर क्षेत्र के गतिविधियों सहित एपीडा के क्षेत्रीय कार्यालयों के क्रियाकलाप

विषय सूची

1. एपीडा की स्थापना

कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) की स्थापना संसद द्वारा दिसम्बर 1985 में पारित कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादन निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम के अधीन भारत सरकार द्वारा की गई। यह अधिनियम (1986 का दूसरा) भारत के राजपत्र असाधारण भाग II (खंड 3(ii):13.2.1986 में प्रकाशित 13 फरवरी 1986 की अधिसूचना द्वारा प्रभावी हुआ। प्राधिकरण ने प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात संवर्द्धन परिषद (पीएफआईपीसी) को प्रतिस्थापित किया।

एपीडा अधिनियम के अध्याय V खंड 21(2) के अनुसार पिछले वित्त वर्ष के दौरान प्राधिकरण के कार्यकलापों, नीति और कार्यक्रमों का एक वास्तविक और पूरा लेखा–जोखा प्रस्तुत करने हेतु वार्षिक रिपोर्ट की एक प्रति प्रतिवर्ष केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत किया जाता है जिससे उसे संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जा सके।

कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) की यह 29 वीं वार्षिक रिपोर्ट है और इसमें वित्तीय वर्ष 2014–15 का विवरण है।

1.1 निर्दिष्ट कार्य

कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम 1986 (1986 का दूसरा), के अनुसार प्राधिकरण को निम्न कार्य सौंपे गये हैं:–

(क) सर्वेक्षण और व्यावहारिक अध्ययन के द्वारा संयुक्त उद्यमों के माध्यम से इक्विटी पूंजी में सहभागिता तथा अन्य अनुदानों के लिए वित्तीय तथा अन्य सहायता प्रदान करके निर्यात के लिए अनुसूचित उत्पादों से सम्बंधित उद्योगों का विकास।

(ख) निर्धारित शुल्क के भुगतान करने पर, अनुसूचित उत्पादों के निर्यातकों के रूप में व्यक्तियों का पंजीकरण करना।

(ग) निर्यात हेतु अनुसूचित उत्पादों के मानक और विशिष्टियां तय करना।

(घ) बूचड़खानों, प्रसंस्करण संयंत्रों, भण्डारण परिसरों, वाहनों अथवा ऐसे अन्य स्थानों जहाँ ऐसे उत्पाद रखे या संभाले जाते हैं, माँस एवं माँस उत्पादों का निरीक्षण करना जिससे कि ऐसे उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सके।

(ङ) अनुसूचित उत्पादों की पैकिंग में सुधार लाना।

(च) भारत से बाहर अनुसूचित उत्पादों के विपणन में सुधार।

(छ) निर्यातोन्मुख उत्पादों को बढ़ावा देना और अनुसूचित उत्पादों का विकास करना।

(ज) अनुसूचित उत्पादों के उत्पादन, प्रसंस्करण, पैकिंग, विपणन अथवा निर्यात में प्रवृत्त कारखानों अथवा संस्थानों के मालिकों अथवा किन्हीं अन्य व्यक्तियों से जो कि अनुसूचित उत्पादों से संबंधित किसी मामले में निर्धारित किए गए किन्हीं अन्य व्यक्तियों से आंकड़ों का संग्रह करना और इस तरह संग्रह किए गए आंकड़ों अथवा उनके किन्हीं अंशों अथवा उनके उद्धरणों को प्रकाशित करना।

(झ) अनुसूचित उत्पादों से संबंधित उद्योगों के विभिन्न पहलुओं में प्रशिक्षण प्रदान करना।

(ञ) निर्धारित किए गये ऐसे अन्य मामले।

1.2 परिवीक्षित उत्पाद–एपीडा द्वारा मोनीटर किए गए उत्पाद

एपीडा को निर्यात संवर्द्धन तथा विकास का उत्तरादायित्व भी सौंपा गया है। एपीडा अधिनियम की प्रथम अनुसूची में अधिसूचित उत्पाद निम्नलिखित हैं।

1.	फल, सब्जियां तथा उनके उत्पाद
2.	मांस तथा मांस उत्पाद
3.	कुक्कुट तथा कुक्कुट उत्पाद
4.	डेयरी उत्पाद
5.	कन्फेक्शरी, बिस्कुट तथा बेकरी उत्पाद
6.	शहद, गुड़ तथा चीनी उत्पाद
7.	कोको तथा उसके उत्पाद, सभी प्रकार के चॉकलेट
8.	मादक तथा गैर मादक पेय–पदार्थ
9.	अनाज तथा अनाज उत्पाद
10.	मूंगफली तथा अखरोट
11.	अचार, पापड़ और चटनी
12.	ग्वारगम
13.	पुष्पकृषि तथा पुष्पकृषि उत्पाद
14.	जड़ी–बूटी तथा औषधीय उत्पाद

एपीडा अधिनियम की द्वितीय अनुसूची में बासमती चावल को भी सम्मिलित किया गया है। इसके अतिरिक्त एपीडा को चीनी के आयात के परिवीक्षण का उत्तरदायित्व भी सौंपा गया है।

एपीडा जैविक उत्पादों के निर्यात हेतु निर्मित जैविक उत्पादन हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत निकायों के प्रमाणीकरण को कार्यान्वित करने हेतु स्थापित राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (एन ए बी) की सेवाओं हेतु सचिवालय के रूप में भी कार्य करता है। "जैविक उत्पादन हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम" के अन्तर्गत निर्धारित मानकों के अनुरूप उत्पादन, प्रसंस्करण तथा पैकिंग करने पर उत्पादों को जैविक उत्पाद प्रमाणित किया जाता है और निर्यात किया जाता है।

1.3 एपीडा प्राधिकरण का गठन

संविधि द्वारा निर्धारित एपीडा प्राधिकरण में निम्नलिखित सदस्य शामिल है यथाः

- केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त एक अध्यक्ष।
- भारत सरकार के कृषि विपणन सलाहकार, पदेन।
- योजना आयोग का प्रतिनिधित्व करने वाला एक सदस्य जिसे केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है।
- संसद के तीन सदस्य जिनमें से दो लोकसभा एवं एक राज्यसभा से चुना जाता है।
- केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त आठ सदस्य जो कि केन्द्र सरकार के निम्न से संबंधित मंत्रालयों का प्रतिनिधित्व करेगें।
  - (i) कृषि एवं ग्रामीण विकास
  - (ii) वाणिज्य
  - (ii) वित्त
  - (iv) उद्योग
  - (V) खाद्य
  - (vi) नागरिक आपूर्ति
  - (vii) नागर विमानन
  - (vii) जहाजरानी एवं परिवहन
- केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले पांच सदस्य जिन्हें केन्द्रीय सरकार द्वारा वर्णानुक्रम के अनुसार बारी–बारी से नियुक्त किया जाता है।
- केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त सात सदस्य जो निम्न का प्रतिनिधित्व करेंगे।
  - (i) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद
  - (ii) राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड
  - (iii) राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ
  - (iv) केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिकीय अनुसंधान संस्थान
  - (v) भारतीय पैकेजिंग संस्थान
  - (vi) मसाला निर्यात संवर्धन परिषद तथा
  - (vii) काजू निर्यात संवर्धन परिषद।
- केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किए जाने वाले बारह सदस्य जो निम्न का प्रतिनिधित्व करेंगें।
  - (क) फल एवं सब्जी उत्पाद उद्योग
  - (ख) मांस, कुक्कुट और डेयरी उत्पाद उद्योग
  - (ग) अन्य अधिसूचित उत्पाद उद्योग
- केन्द्रीय सरकार द्वारा कृषि, अर्थशास्त्र तथा अधिसूचित उत्पादों के विपणन के क्षेत्र के विशेषज्ञ एवं वैज्ञानिकों में से नियुक्त दो सदस्य।

1.4 प्रशासनिक ढाँचा

अध्यक्ष के अधिकार–क्षेत्र

एपीडा अधिनियम के नियमों के अधीन अध्यक्ष एवं सचिव के कर्तव्य तथा अधिकारों को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (वाणिज्य विभाग) की अधिसूचना सं 50379 (ई) दिनांक 15 फरवरी 2013 के द्वारा अधिसूचित किया है अधिनियम की वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (वाणिज्य विभाग) की दिनांक 15 फरवरी, 2013 की अधिसूचना संख्यांक 50379 (ई) के अन्तर्गत अधिसूचित किया गया है जिसे वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (वाणिज्य विभाग) की दिनांक 4 अप्रैल 2014 की अधिसूचना संख्या 301038 (ई) के द्वारा पुनःसंशोधित किया गया। अध्यक्ष तथा सचिव के अधिकार एवं कर्तव्य दिनांक 4 अप्रैल, 2014 की अधिसूचना संख्या एस. ओ. 1038 (ई) के अनुरूप निष्पादित किए गए हैं।

श्री असित कुमार त्रिपाठी, संयुक्त सचिव वाणिज्य विभाग को अध्यक्ष एपीडा का अतिरिक्त कार्यभार दिनांक 05.10.2013 से 22.04.2014 से तक सौंपा गया।

श्री संतोष सारंगी ने एपीडा अध्यक्ष एवं सचिव का अतिरिक्त कार्यभार 23.04.2014 से 15.04.2015 तक संभाला।

निदेशक

श्री आर. के. बोयल दिनांक 01.04.2014 से 31.07.2014 तक निदेशक के पद पर रहे। श्री ए. एस. रावत, महाप्रबंधक ने दिनांक 01.08.2014 से 22.01.2015 तक निदेशक, एपीडा का अतिरिक्त कार्यभार संभाला।

श्री एस. दवे, निदेशक एपीडा, जो एफ. एस. एस. ए. आई. में प्रतिनियुक्ति पर थे, ने 23.01.2015 को एपीडा में पद्भार ग्रहण किया तथा 31.03.2015 तक निदेशक का कार्यभार संभाला।

प्राधिकरण के अधिकारी एवं कर्मचारी

एपीडा अधिनियम के खण्ड 7(3) में यह प्रावधान है कि प्राधिकरण अपने कार्यों के कुशल निष्पादन के लिए आवश्यक अधिकारियों एवं कर्मचारियों की नियुक्ति कर सकता है।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, कुल कर्मचारियों की संख्या 89 थी जबकि कुल स्वीकृत संख्या 124 हैं। एपीडा प्राधिकरण के कर्मचारियों की श्रेणी–वार विवरण निम्नानुसार था।

(क)	सरकार में श्रेणी 'क' के समकक्ष पद (जिनमें अध्यक्ष, निदेशक और सचिव शामिल है)	25
(ख)	सरकार में श्रेणी 'ख' पदों के समकक्ष पद	30
(ग)	सरकार में श्रेणी 'ग' के पदों के समकक्ष पद	26
(घ)	सरकार में श्रेणी 'घ' के पदों के समकक्ष पद	08

प्राधिकरण द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों के कल्याण एवं विकास के कार्यों पर पर्याप्त ध्यान दिया जाता है। एपीडा ने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों से प्राप्त सभी शिकायतों पर उचित कारवाई की तथा उनकी कोई शिकायत शेष नहीं है।

सरकार के मानदण्डों के अनुसार शारीरिक दृष्टि से विकलांग व्यक्तियों के लिए सभी श्रेणियों में कुल क्षमता के 3% पद आरक्षित हैं। वर्तमान में एपीडा के कुल कर्मचारियों की संख्या 89 है जिनमें से शारीरिक रूप से विकलांग कर्मचारियों की संख्या 2 है।

1.5 एपीडा के आभासी कार्यालय

एपीडा 26 वर्षों से कृषि निर्यात समुदाय को सेवाएं उपलब्ध करा रहा है। देश के विभिन्न भागों में मौजूदा निर्यातकों तक पहुँचने के लिए एपीडा ने अपने पांच क्षेत्रीय कार्यालयों के अतिरिक्त संबंधित राज्य सरकार/एजेंसियों के सहयोग से 13 आभासी कार्यालय खोले हैं जो इस प्रकार है:– तिरूवंतपुरम (केरल), भुवनेश्वर (उड़ीसा), श्रीनगर (जम्मू तथा कश्मीर), चंडीगढ़, इम्फाल (मणिपुर), अगरतला (त्रिपुरा), कोहिमा (नागालैंड), चेन्नई (तमिलनाडु), रायपुर (छत्तीसगढ़), अहमदाबाद (गुजरात), भोपाल (मध्य प्रदेश) लखनऊ (उत्तर प्रदेश) तथा पणजी (गोवा)। एपीडा की सामान्य जानकारियां, पंजीकरण तथा वित्तीय सहायता योजनाओं की जानकारी इन आभासी कार्यालयों द्वारा उद्यमियों/निर्यातकों के लिए उपलब्ध कराई जा रही है।

1.6 एपीडा में विभिन्न गतिविधियों का कंप्यूटरीकरण

1. एपीडा की आईटी गतिविधियों के प्रचालन तथा प्रबंधन परियोजनाओं हेतु परामर्शदाता का चयन किया गया तथा मैसर्स लॉजिकसॉफ्ट इंटरनेशनल प्रा. लि. को कार्य–आदेशपत्र जारी किया गया। परामर्शदाता ने 1 दिसंबर 2014 से परियोजना अधिग्रहीत की है।

2. **Meat.Net-** एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को विकसित किया गया तथा इसे एपीडा पारितोषक समारोह के दौरान 26 नवंबर, 2014 को सचिव, वाणिज्य विभाग द्वारा प्रक्षेपित किया गया।

3. कृषि विपणन प्रोत्साहन योजना को 12 वीं परियोजना हेतु वित्तीय सहायता योजना एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में पुर्नसंशोधित योजना के अनुरूप पर्याप्त सुधारों के उपरांत लागू किया गया।

4. परिवहन सहायता योजना 2014–15 को परिवाहन सहायता एप्लीकेशन साफ्टवेयर में पुर्नसंशोधित योजना के अनुरूप पर्याप्त सुधारों के उपरांत लागू किया गया। 2014–17 योजनावधि हेतु इस सॉफ्टवेयर को अपडेट किया जा चुका है।

5. एपीडा में विभिन्न पदों पर नियुक्ति हेतु ऑनलाइन आवेदन–पत्रों को प्राप्त करने हेतु वेब आधारित रिक्रूटमेन्ट सॉफ्टवेयर को विकसित और लागू किया गया है।

6. मैसर्स **BECIL** के परामर्शधीन वीडियो कांफ्रेसिंग हेतु प्रस्ताव प्रवर्तित दिए गये हैं। एपीडा के मुख्य कार्यालय तथा क्षेत्रीय कार्यालयों में वीडियो कांफ्रेस प्रणाली की आपूर्ति संस्थापना तथा चालू करने हेतु आदेश दिए गए है। एपीडा के मुख्य कार्यालय तथा क्षेत्रीय कार्यालयों में वीडियो कांफ्रेसिंग प्रणाली शीघ्र ही संस्थापित कर दी जाएगी।

7. भिण्डी (ओकरा), अनार तथा अंगूर के समाकलन से **Hortinet** (हार्टीनेट) नामक एकीकृत ट्रेसेबिलिटी सिस्टम विकसित की गई है। आम के प्रसंस्करण तथा निर्यात हेतु प्रमाणीकरण के अनुश्रवण हेतु **Hortinet** प्रणाली में कृषकों के पंजीकरण हेतु एक मोड्यूल (मापांक) को सम्मिलित किया गया तथा प्रचालित किया गया।

8. ट्रेसनेट प्रणाली में अतिरिक्त प्रावधानों के साथ कतिपय प्रमुख परिष्करण तथा उन्नयन किए गए हैं:–

   (अ) लदान से पूर्व तत्कालिक (प्रोविशनल) टीसी के निर्गमन का प्रावधान

   (ब) एन. ओ. पी प्रमाणीकृत उत्पादानों के लिए तथा संयुक्त राष्ट्र अमरीका को पुनर्निर्यात हेतु प्रावधान।

(स) एनपीओपी के अन्तर्गत जैविक वस्त्र (टेक्सटाईल) उत्पादों के प्रसंस्करण को सम्मिलित किए जाना।

9. एपीडा वेबसाइट को विकसित किया गया है तथा इसे उपभोक्ताओं हेतु अधिक सुगम्य बनाने के लिए विभिन्न विकल्पों यथा मोबाइल एवं टेबलेट जैसे उपकरणों तथा भिन्न–भिन्न वेब–ब्राउसरों द्वारा वेबसाइट के अभिगमन को सरल बनाया गया है। एपीडा वेबसाइट का नियमित उन्नयन एक लगातार जारी रहने वाली प्रक्रिया है।

10. 'एग्रीएक्सचेंज ट्रेड पोर्टल' तथा सूचना–पत्र का पुर्नअभिकल्पन/एग्रीएक्सचेंज पोर्टल को विभिन्न नवीन सूचनाओं यथा राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय व्यापारिक डेटाबेस, एफ टी ए, पत्तन–वार सूचना, वैश्विक विश्लेषण ात्मक प्रतिवेदन, अनुरेखण एवं संपर्क, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय उत्पादन तथा मूल्यदर आयात शुल्क दरें, एस. पी. एस. अधिसूचनाएं, आयात विनियमन एवं मानदण्ड, भारतीय खाद्य सुरक्षा तथा मानदण्ड तथा नवीनतम विपणन प्रतिवेदन (यूएस. डी. ए. गैन रिपोर्ट प्रतिवेदन) से लिंक किया गया है।

11. 'कामट्रेड' एवं डीजी सी आई एस से प्राप्त किए गए विभिन्न कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य–उत्पादों के आयात तथा निर्यात आंकड़ो पर विभिन्न विश्लेषणात्मक प्रतिवेदनों के संचयन को प्रारंभ किया गया। कृषि तथा संबंधित उत्पादों के प्रमुख उपयोगी वस्तुओं के डेटाबेस को उपक्रमित तथा संपोषित किया गया।

12. तीस नए डेस्कटॉप कम्प्यूटर खरीदे गए तथा अप्रयुक्त कम्प्यूटर हटा दिये गये।

13. **Peanut.Net-** में एक नवीन प्रक्रिया प्रवर्तित की गई जिसके अन्तर्गत निर्यात–प्रमाणपत्र आई ओ पी ई पी सी के स्थान पर अब एपीडा द्वारा जारी किया जाएगा। इस प्रणाली को गुणवत्ता मानकों यथा एच ए सी सी पी एफ एस एस ए आई प्रमाणीकरण तथा पड़ोसी देशों को निर्यात किए जाने के माध्यम यथा रेल, सड़क, समुद्र इत्यादि अनिवार्य सूचनाओं के समावेशन से उन्नयित किया गया है।

14. प्रणाली में एपीडा में पंजीकरण की सूचना को एस एम एस द्वारा दर्शाने की सुविधा को भी समाकलित किया गया है।

15. एपीडा के दैनिक सूचनापत्र को 30000 से भी अधिक प्रापकों तक पहुंचाने वाली प्रभावकारी वितरण व्यवस्था को अधिक सुगम्य बनाना। विभिन्न सोशअल वेबसाइट जैसे फेसबुक, ट्वीटर एवं गूगल प्लस पर भी इस सूचना–पत्र को नियमित रूप से अपलोड किया जाता है।

16. 75 से भी अधिक संसदीय प्रश्नों के लिए आयात के विभिन्न क्षेत्रों हेतु उत्पादों से संबंधित अपेक्षित उत्तरसामग्री को उपलब्ध कराया गया तथा संग्रहीत आंकड़े एवं सूचनाएं प्रदान की गईं।

2 प्राधिकरण की बैठकें तथा सांविधिक कार्य–कलापः–

वर्ष 2014–15 के दौरान एपीडा प्राधिकरण की तीन बैठकें क्रमशः 26 जून 2014, 18 नवंबर, 2014 तथा 20 फरवरी, 2015 को आयोजित की गई।

2.1 निर्यातकों का पंजीकरण–

वर्ष 2014–15 के दौरान एपीडा ने कुल 3512 नवीन उत्पादकों/व्यापारियों का पंजीकरण किया।

2.2 व्यापार नोटिसों तथा पंजीकरण एवं आबंटन प्रमाणपत्रों को जारी करना।

बासमती चावलः

वित्तीय वर्ष 2014–15 के दौरान जारी किये गये आर सी ए सी (बासमती चावल) के आंकड़ों का विवरण

2014-15		
कुल आर सी ए सी	मात्रा लाख मीट्रिक टन में	एफ ओ बी मूल्य (मिलियन यू एस डालर में)
21910	37.93	4859.24

2.3 वित्तीय वर्ष 2014–15 के दौरान आर सी ए सी के आधार पर चीनी के आयात का विवरण।

2014–15 (कच्ची चीनी) अपरिष्कृत			2014–15 (सफेद परिष्कृत चीनी)		
कुल आर सी ए सी	मात्रा (लाख मीट्रिक टन)	सी आई एफ मूल्य (मिलियन यूएस डालर में)	कुल आर सी ए सी	मात्रा (लाख मीट्रिक टन)	सी आई एफ मूल्य (मिलियन यूएस डालर में)
52	20.6	3540.61	69	706.12	18.97

2.4 राजभाषा अधिनियम का कार्यान्वयन

प्राधिकरण ने 2014–15 के दौरान भारत सरकार के राजभाषा अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों और राजभाषा नियमों को कार्यान्वित किया। प्राधिकरण के कुछ राजभाषा कार्यकलाप निम्नलिखित हैः–

(i) एपीडा पंजीकरण एवं सदस्यता प्रमाण पत्र (आर सी एम सी) एवं पंजीकरण एवं आबंटन प्रमाण–पत्र (आर सी ए सी) द्विभाषी (हिन्दी–अंग्रेजी) रूप में जारी किये गये।

(ii) वर्ष के दौरान नियमित रूप से राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें आयोजित की गई।

(iii) राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के अपेक्षित प्रावधानों को कार्यान्वित किया गया।

(iv) एपीडा में हिन्दी में कार्य करने वाले अधिकारी एवं कर्मचारियों हेतु प्रोत्साहन योजनाएं उपलब्ध हैं। हिन्दी में उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों को नकद पुरस्कार प्रदान किये गये।

(v) हिन्दी के प्रगामी उपयोग को बढ़ाने के लिए एपीडा के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को राजभाषा प्रशिक्षण/संगोष्ठियों/कार्यशालाओं में भेजा गया।

(vi) वर्ष 2014–15 के दौरान 14–28 सितम्बर तक हिन्दी पखवाड़े के दौरान विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इन प्रतियोगिताओं के प्रतिभागियों और हिन्दी में कार्य करने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सम्मानित करने हेतु पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया।

(vii) हिन्दी में नियमित रूप से टिप्पणी करने हेतु अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सहायता के लिए सभी फाइल आवरणों पर द्विभाषी में सामान्य रूप से प्रयुक्त वाक्यांशों को मुद्रित किया गया।

(viii) राजभाषा के उपयोग को बढ़ाने के लिए प्रत्येक कर्मचारी को हिन्दी सहायिका प्रदान की गई तथा प्रत्येक अनुभाग को अंग्रेजी–हिन्दी शब्दकोश भी दिया गया।

(ix) एपीडा वेबसाइट हिन्दी में भी उपलब्ध है तथा समय–समय पर इसे अद्यतन किया जाता है।

2.5 वित्तीय सहायता योजनाएं

कृषि निर्यात के प्रयासों में एपीडा द्वारा निम्नलिखित योजनाओं के अन्तर्गत पंजीकृत निर्यातकों को सहायता उपलब्ध कराई जाती हैः–

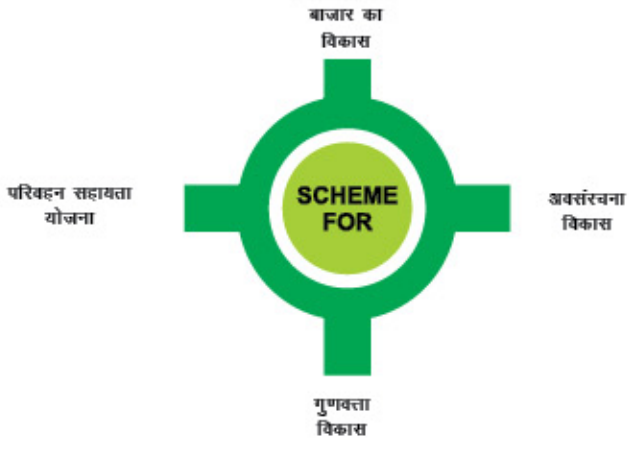

3. निर्यात कार्य–निष्पादन

अप्रैल–मार्च 2014–15 की अवधि में एपीडा उत्पादों का निर्यात निम्न प्रकार है:

मूल्य करोड़ रूपये में एवं अमेरिकी डॉलर मिलियन में

उत्पाद समूह	निर्यात				प्रतिशत में वृद्धि	
	2013-14		2014-15			
	करोड़ रूपये	अमेरिकी डॉलर मिलियन	करोड़ रूपये	अमेरिकी डॉलर मिलियन	करोड़ रूपये	अमेरिकी डॉलर मिलियन
पुष्प कृषि एवं बीज	866.45	143.13	887.81	145.35	2.47	1.55
फल एवं सब्जियां	8760.95	1451.03	7474.14	1221.83	-14.69	-15.80
प्रसंस्कृत फल एवं सब्जिया	6483.84	1069.75	6670.37	1090.81	2.88	1.97
पशु उत्पाद	32288.57	5313.00	33128.30	5411.33	2.60	1.85
अन्य प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ	25068.16	4180.80	24893.06	4067.91	-0.70	-2.70
बासमती चावल	29299.96	4866.30	27597.89	4518.11	-5.81	-7.16
गैर बासमती चावल	17749.96	2917.76	20428.54	3334.71	15.09	14.29
गेहूं	9261.61	1566.49	4991.84	828.76	-46.10	-47.09
अन्य अनाज	7140.57	1198.09	5261.53	869.01	-26.31	-27.47
कुल	136920.07	22706.35	131333.48	21487.82	-4.08	-5.37

स्रोत : डीजीसीआईएस

यद्यपि एपीडा के सकल निर्यात में गत वर्ष की तुलना में 4.08 प्रतिशत की नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई है लेकिन गैर–बासमती चावल, प्रसंस्कृत फल एवं सब्जियों, पुष्पोत्पादन एवं बीज, पशुधन उतपादों में सकारात्मक वृद्धि है।

4. प्रमुख उपलब्धियाँ

- **यूरोपीय संघ (ईयू) ने भारतीय आम के आयात पर लगा प्रतिबंध हटाया–**

यूरोपीय संघ ने भारतीय आम के आयात पर लगा प्रतिबंध हटाया। भारत द्वारा पादप स्वास्थ्य नियंत्रणों तथा प्रमाणीकरण प्रणाली में उत्तरदेयी सुधारों के पश्चात यूरोपीय संघ ने भारत से आमों के आयात पर लगे प्रतिबंध को हटाया है। उपर्युक्त विधान को यूरोपीय संघ द्वारा विधिवत अपनाना तथा प्रकाशित किए जाना शेष है। वास्तव में यह यूनाइटेड किंगडम–भारत तथा यूरोपीय संघ–भारत के व्यापारिक संबंधों तथा विशेषकर भारतीय निर्यातकों एवं यूके के उपभोक्ताओं के लिए बड़ा समाचार है। भारत से फल एवं सब्जियों के कुल निर्यात का 50 प्रतिशत से भी अधिक यूरोपीय संघ को किया जाता है। इस निर्यात का प्रमुख गंतव्य–स्थल यू. के. है तथा तत्पश्चात नीदरलैंड, जर्मनी एवं बेल्जियम में भी बड़ी मात्रा में निर्यात किया जाता है।

- **भारत – रूस के मध्य खाद्य–व्यापार को बढ़ावा देने हेतु ई–प्रमाणीकरण प्रणाली विकसित किए जाने को सहमति –**

एपीडा तथा रूस की शालीहोत्री तथा पादप नियंत्रण हेतु संघीय सेवा (**Rosselkhoznadozor**) ने भारत तथा रूस के मध्य खाद्य – उत्पादों के निर्यात को ई–प्रमाणीकरण प्रणाली तथा तकनीकी परामर्श के माध्यम से बढ़ावा देने हेतु परस्पर सहयोग हेतु सहमति दे दी है। एपीडा तथा रूस की शालीहोत्री तथा पादप नियंत्रण हेतु संघीय सेवा (**Rosselkhoznadozor**) के मध्य हुई सफल वार्ता के उपरांत रूस ने भारत से काराबीफ (भैंस के मांस) के आयात की अनुमति दी है।

रूस को भैंस के माँस की आपूर्ति में हुई वृद्धि के अतिरिक्त भारत रूस को अन्य खाद्य–वस्तुओं के निर्यात, जिनमें दुग्ध–उत्पाद भी सम्मिलित हैं, में वृद्धि हेतु आशान्वित है। गत कुछ माह में **Rosselkhoznadozor** ने चार भारतीय कंपनियों क्रमशः मैसर्स फेयर एक्सपोर्ट प्रा. लि., मैसर्स फ्रिजेरो कॉनसेर्वा एल्लाना लि., मैसर्स फ्रिग्रोरिफिको एल्लाना लि. तथा मैसर्स एमरून फूड्स प्रा.लि. से भैंस के माँस के आयात की तथा एस. के. एम. एग. प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट (इंडिया) लि. से अण्डों के आयात की अनुमति प्रदान की है। **Rosselkhozhadozor** भारत से रूस को होने वाले माँस के निर्यात के निरीक्षण हेतु भारत में अपने अधिकारियों को प्रतिनियुक्त करने हेतु सहमत है। निर्यात हेतु औपचारिक अनुमोदन के तीन माह पश्चात रूस की आधिकारिक शालीहोत्री एवं पादप–स्वास्थ्य सेवा प्रबंधक (**Rosselkhozhadozor**) ने भारत में प्रतिनियुक्ति पर एक निरीक्षक को नियुक्त किया है। निरीक्षक का प्राथमिक नियत–कार्य निर्यात हेतु इच्छुक भैंस – मांस के प्रसंस्करण संयंत्रों, पैक हाउस तथा इकाईयों का दौरा करना तथा परेषित सामग्री को अनुमोदित करना है। उपरोक्त विशेषज्ञ भैंस के मांस के उत्पादन तथा भारत से प्रेषित किए जाने वाले उत्पादों का पर्यवेक्षण करेंगे एवं रूस को निर्यात किए जाने वाले कच्चे माल के आपूर्तिकर्ता भारतीय प्रतिष्ठानों से भी परिचित होंगे।

विश्व में भारत भैंस के मांस के सबसे बड़ा निर्यातक तथा उत्पादक है। विश्व भर में भैंस के मांस के कुल होने वाले निर्यात में लगभग 80 प्रतिशत हिस्सेदारी भारत की है। वियतनाम, मलेशिया, थाईलैंड, सऊदी अरब, मिस्र तथा संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय भैंस का मांस लोकप्रिय है तथा वर्ष 2014–15 के दौरान इसके कुल पशु निर्यात में 3216604.92 लाख से 3295958.09 लाख की वृद्धि हुई हैं।

- **एपीडा ने भारत में ट्रेसेबिलिटी सिस्टम को प्रवर्तित किया :–**

एपीडा ने सकल रुप से भारतीय कृषि उत्पाद एवं प्रसंस्कृत उत्पादों के निर्यात हेतु गुणवत्ता विकास तथा बाजार प्रोत्साहन हेतु विभिन्न उपक्रमण किए हैं। भारतीय कृषि तथा प्रसंस्कृत उत्पादों को यूरोपीय संघ, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान इत्यादि जैसे प्रमुख बाजारों में गहरी पकड़ बनाने में लगातार सामना कर रहे कुछ प्रमुख मुद्दे निम्नवत् हैं:–

- खाद्य सुरक्षा पर विशेषकर, अवशिष्ट प्रबोधन, उत्पादन मानकीकरण, अनुमार्गी इत्यादि पर बढ़ता वैश्विक संकेन्द्रण।
- भारत से निर्यात होने वाले उत्पादों में कीटनाशक अवशिष्ट, अफ्लाटोक्सिन विष इत्यादि के कारण नियमित संकट–स्थिति उत्पन्न होना।
- विकसित बाजारों द्वारा उपरोक्त को गैर–शुल्क दर अवरोधक के रुप में उपयोग करना।

आयातक देशों को आश्वस्त करने हेतु कि आपूर्ति श्रृंखला के प्रत्येक स्तर पर गुणवत्ता को बनाए रखने से संबंधित सभी आवश्यक पहलुओं पर ध्यान दिया जाता है। एपीडा ने कृषि उत्पादों में अनुमार्गी प्रणाली को स्थापित करने हेतु अनेक उपक्रमण किए है। एपीडा ने इस क्षेत्र में विगत समय में विभिन्न उपक्रमणों को लागू किया है जिनमें आपूर्ति श्रृंखला के सभी अंशधारकों को एकल प्रणाली में निबद्ध करके सुदृढ़ प्रबोधन प्रणाली आधारित सूचना तकनीक को प्रतिस्थापित करना भी सम्मिलित है।

एपीडा द्वारा भारत में अनुमार्गी प्रणाली का प्रर्वतनः–

जैविक उत्पादों के प्रमाणीकरण प्रणाली की विश्वसनीयता में वृद्धि हेतु उपभोक्तानुकूल वेब आधारित अनुमार्गी प्रणाली को एपीडा द्वारा जून 2010 से लागू किया है यह विश्व में पहली वेब–आधारित अनुमार्गी प्रणाली है जिसे जैविक उत्पादों हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम (एनपीओपी), जिस के लिए एपीडा, प्रमाणीकरण निकायों, के प्रत्यापन हेतु सचिवालय एवं अधिकृत निकाय है, के समानुरेखन में जैविक उत्पादों हेतु राष्ट्रीय स्तर पर लागू किया है। एनपीओपी जैविक कृषि तथा प्रमाणीकरण हेतु अपनाएं जाने वाले मानक तथा विधियों को परिभाषित करता है। ट्रेसनेट प्रणाली प्रमाणीकरण के अन्तर्गत आने वाले सभी जैविक अंशधारकों यथा प्रचालक (उत्पादनकर्त्ता, प्रसंस्करणकर्त्ता, व्यापारी, आई सी एस) तथा एन पी ओ पी के अन्तर्गत कार्यरत प्रमाणीकरण निकायों को अधिकृत सूचना तथा संबंधित आंकड़ों को अनुरक्षित रखने में सहायक होता है।

वर्तमान में, ट्रेसनेट साफ्टवेयर को प्रचालकों तथा प्रमाणीकरण निकायों द्वारा उपयोग करने हेतु उपलब्ध कराया जा रहा है। एपीडा ने वर्तमान अनुमार्गी प्रणाली को प्रमाणीकरण से आगे प्रत्यापन प्रक्रिया में भी लागू करने की दिशा में कदम बढ़ाए हैं। ट्रांसनेट प्रणाली के अन्तर्गत सभी पुष्पोत्पादन तथा कृषि उपजों जिसमें, कपास, प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादन एवं वन उपज सम्मिलित हैं को प्रमाणीकरण किया जाता है। निकट भविष्य में, ट्रांसनेट प्रणाली को पशुधन उत्पादों (मांस, कुटकुट उत्पाद, दुग्ध उत्पाद एवं शहद) तथा मत्स्य उत्पादों को सम्मिलित करके अधिक उन्नत बनाया जाने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं।

पीनेट. नेट प्रणाली –

मूंगफली में अफ्लाजीव विष का उच्च स्तर आयातक देशों के लिए चिंता का प्रमुख विषय रहा है। अतः आवश्यक था कि मूंगफली में निर्धारित स्तर से अधिक अफ्लाजीव विष की उपस्थिति की संभावना को न्यून करने की दिशा में समुचित नियंत्रण स्थापित किए जाएं। आयात किए जाने वाले मूंगफली तथा मूंगफली उत्पादों में अफ्लाजीव विष को नियंत्रित करने हेतु अधिनियम विकसित किया गया। एपीडा द्वारा अधिकृत प्रयोगशालाओं द्वारा नियंत्रित आफ्लाजीव विष स्तर प्रमाणपत्र, संविदाओं के अनिवार्य पंजीकरण के उपरांत ही मूंगफली के निर्यात हेतु अनुमति दी जाती है। एपीडा ने पीनेट. नेट वेब आधारित अनुमार्गी प्रणाली को आयात किए जाने वाले मूंगफली तथा मूंगफली उत्पादों के परेषितमाल में आफ्लाजीवविष के नियंत्रित स्तर को बनाए रखने के उद्देश्य से विकसित किया है। पीनेट. नेट अनुमार्गी प्रणाली में निबद्ध अंशधारकों में छीलने, क्रम स्थापन, मूल्य–वर्धन उत्पाद निर्माणकर्त्ता प्रसंस्करण इकाईयां इत्यादि, निर्यातक, अधिकृत प्रयोगशालाएं तथा एपीडा सम्मिलित हैं। इस प्रणाली से इतर कोई भी प्रयोगशाला कोई प्रमाण पत्र जारी नहीं कर सकती। मूंगफली निर्यात कर प्रत्येक परेषित माल प्रयोगशाला के प्रमाण पत्र, निर्यात प्रमाण पत्र, स्वास्थ्य प्रमाण पत्र तथा भरण– प्रमाण पत्र, का होना आवश्यक है। इस प्रणाली को लागू करने के पश्चात भारतीय मूंगफली उत्पादों में अफ्लाजीव विष की व्यापकता से संबंधित यूरोपीय संघ के देशों को निर्यात करने में आ रही संशयों को बहुत हद तक समाप्त करने में सफल हुआ है तथा यूरोपीय संघ के देशों में भारतीय मूंगफली उत्पादों पर लगाए गए प्रमुख प्रतिबंधों के निवारण में सहायता मिली है।

हार्टीनेट –

सभी बागवानी उत्पादों हेतु अनुमार्गी प्रणाली में एकल अभिज्ञान – अभी तक विकसित एवं लागू की गई अनुमार्गी प्रणालियों की लगातार सफलता के पश्चात्, एपीडा ने सभी फल एवं सब्जियों को हार्टीनेट नामक अनुमार्गी प्रणाली की परिधि के अन्तर्गत लाने की चुनौती स्वीकार की है। हार्टीनेट एक एकीकृत वेब सक्षम प्रमाणीकरण तथा अनुमार्गी प्रणाली है जो भारत से निर्यात किए जाने वाले फलों एवं सब्जियों को मानव उपयोग हेतु निर्धारित अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसरण को सुनिश्चित करने वाली निगरानी प्रणाली के रुप में कार्य करती है। प्रारंभ में अंगूर, अनार, भिंडी तथा आम को एकल अभिज्ञान के रुप में एकीकृत किया गया है तथा अन्य उत्पादों में भी इसे लागू किया जाएगा।

अंगूर–

भारत में अपनी तरह की पहली यह प्रणाली निर्यात आपूर्ति श्रृंखला के सभी अंशधारकों, जिनमें कृषक, निर्यातक, राज्य सरकार के बागवानी, कृषि विभाग, अधिकृत प्रयोगशालाएं, पैक – हाऊस, पादप – स्वास्थ्य प्रमाणीकरण विभाग, राष्ट्रीय रेफरल प्रयोगशालाएं (एन आर एल) एपीडा इत्यादि सम्मिलित हैं को एक केन्द्रीकृत वेब – आधारित प्रबोधन सॉफ्टवेयर के द्वारा फार्म ट्रेसेबिलिटी सिस्टम से परेषित माल तक प्रतिस्थापित करने हेतु लागू की गई। ग्रेपनेट को भारत से यूरोपीय संघ के देशों में निर्यात होने वाले टेवल–अंगूर के प्रबोधन हेतु उपयोग किया जाता है। यह प्रणाली 2008 से सफलतापूर्वक कार्य कर रही है।

अनार –

अनार निर्यात की आपूर्ति – श्रृंखला में गुणवत्ता प्रत्याभूति को बनाए रखने के प्रबोधन हेतु इस प्रणाली को ग्रेपनेट के समानुरुप विकसित किया गया है। जिसे सफलतापूर्वक लागू किया गया है।

आम तथा भिंडी (ओकरा) –

विगत कुछ वर्षों में, यूरोपीय संघ के देश भारत से निर्यात होने वाले आम, भिंडी एवं कतिपय अन्य कृषि उत्पादों में कीटनाशक अवरोधन तथा कीटनाशक अवशिष्ट के संबंध में शिकायत दर्ज कराते रहे हैं। इस प्रवृत्ति पर नियंत्रण करने हेतु हमारे निर्यात प्रमाणीकरण प्रणाली को सुदृढ़ करने का निर्णय लिया गया। यूरोपीय संघ के देशों में अंगूर निर्यात हेतु अपनाए गई। अनुमार्गी प्रणाली की सफलता के संकेत पाकर, एपीडा ने 7 मार्च, 2013 से प्रभासी भिंडी निर्यात हेतु, अवशिष्ट प्रबोधन योजना लागू की। अवरोधन को नियंत्रित करने में अभी तक यह योजना सफल रही है। यूरोपीय संघ के देशों ने भारत से होने वाले आम के निर्यात को चार अन्य सब्जियों के साथ 01.05.2014 से प्रतिबंधित किया था। परन्तु निर्यात प्रमाणीकरण प्रणाली को अधिक सुदृढ़ एवं प्रभावी बनाकर, भारत ने एपीडा के द्वारा यूरोपीय संघ के देशों को होने वाले फल एवं सब्जियों के निर्यात हेतु एक प्रणाली कार्यान्वित की। जिसमें एपीडा द्वारा अधिकृत पैक–हाऊसों में पादप–स्वास्थ्य प्रमाणीकरण की प्रक्रिया संपन्न की जाती है। यह प्रणाली संतोषजनक रुप से कार्य कर रही है।

ग्रपनेट की भांति ही समान प्रणाली के अन्तर्गत निर्यात हेतु आम एवं भिंडी को चिन्हित किया गया जिनके लिए अधिक उज्जवलशील अनुमार्गी प्रणाली लागू की जाएगी। इस अनुमार्गी प्रणाली के द्वारा संघ के देशों के आयात मानकों के अनुरुप आम एवं भिंडी उत्पादों का सुरक्षित होना सुनिश्चित किया जा सकेगा तथा इन उत्पादों के निर्यात के समुचित लेखा–चिन्हों को निबद्ध किया जा सकेगा। आम तथा भिंडी हेतु दो अनुमार्गी साफ्टवेयर प्रणालियां विकसित की जा चुकी है तथा निकट भविष्य में इन्हें पूर्णरुपेण कार्यान्वित करने से पूर्व परीक्षण जारी हैं।

मीट. नेट –

विदेशी व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी), उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रालय, भारत सरकार ने सूचना प्रपत्र संख्यांक 12/(2004–2009) दिनांक 21/12/2004 तथा डीजीएफटी सूचना प्रपत्र संख्यांक 82 (आरई–2010)/2009–2004, दिनांक 31 अक्टूबर, 2011 के द्वारा एकीकृत बूचड़खानों सह मांस प्रसंस्करण संयंत्र/मांस प्रसंस्करण संयंत्र/बूचड़खानों को निर्यात से पूर्व एपीडा में पंजीकृत होना अनिवार्य है। इस प्रक्रिया के अन्तर्गत दिनांक 6 दिसंबर, 2013 प्रपत्र संख्यांक : एपीडा/एमपीडी/पंजीकरण/2013 में उल्लिखित विवरणों के अनुरुप पंजीकरण प्रमाणपत्र हेतु अनुमति प्रदत्त की जाती है। एपीडा द्वारा कार्यान्वित की जा रही उपरोक्त प्रक्रियाओं के बावजूद कुछ निर्यातकों द्वारा अधिकृत मांस संयंत्रों से स्रोत में अधिक मात्रा में भी निर्यात करने के कुछ मामले सामने आए हैं। इसके अतिरिक्त एपीडा निम्नलिखित कठिनाईयां का समाना करती है:–

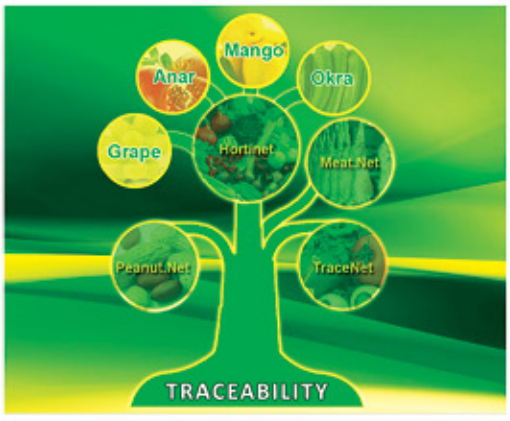

(i) मृत जीवों के आपूर्तिकर्त्ता तथा प्रसंस्करणकर्त्ता/एकीकृत बूचड़खानों के स्रोत संयंत्रों मध्य अनुबंधों के अनियमित समापन के कारण उत्पन्न समस्याओं के निपटान हेतु व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करना।

(ii) संयंत्रों द्वारा उपलब्ध क्षमता तथा होने वाले निर्यात के मध्य अनमेल होना।

(iii) संयंत्र–स्वामियों द्वारा एक ही निर्यातक के साथ विशिष्ट अनुबंध की स्थान पर बहुविध व्यापारी निर्यातकों के साथ अनुबंधों का होना।

(v) गलत प्रवृत्ति के निर्यातकों द्वारा निर्यात प्रमाणपत्रों को अपवर्तित किए जाना। उल्लखित कठिनाइयों के निवारण हेतु एपीडा ने विभिन्न अंश–धारकों के साथ विमर्श के पश्चात एक वेब–आधारित प्रणाली "मीट.नेट" को विकसित किया है।

मीट.नेट प्रणाली का शुभारंभ माननीय वाणिज्य सचिव द्वारा 26 नवंबर, 2014 को किया गया। इस प्रणाली के निम्नलिखित लाभ हैं:–

- इस प्रणाली द्वारा मांस संयत्रों की अनुमोदित क्षमता के आधार पर सफल निर्यात पर निगरानी रखी जा सकती है।
- इस प्रणाली द्वारा सुनिश्चित किया जा सकता है कि कच्चा माल/मांस की एपीडा द्वारा पंजीकृत मांस संयंत्र द्वारा ही आपूर्ति की गई है।
- संबंधित आयातक देशों द्वारा एकीकृत बूचड़खानों से किए जा रहे मांस का मान्यकरण।
- अपवर्तन को रोकने हेतु संबंधित राज्य पशुपालन विभाग द्वारा क्यू आर कोड से लैस स्वास्थ्य प्रमाणपत्रों को जारी किया जाता है।
- मांस निर्यात पर राज्य पशुपालन विभागों मांस संयंत्रों/निर्यातकों जैसे अंशधारकों को इस प्रणाली द्वारा वास्तविक सूचनाएं। आंकड़ें उपलब्ध कराए जाते हैं।

इस प्रणाली द्वारा एक स्रोत से दूसरे स्रोत तक कच्चे माल की आपूर्ति/ प्राप्ति हेतु स्वनिर्मित अनुज्ञाप्ति को समाविष्ट किया जाता है। अन्तोत्गत्वा, इस प्रणाली का उद्देश्य भारतीय मांस निर्यातकों द्वारा अर्न्तराष्ट्रीय बाजार में निर्यात किए जा रहे गुणवत्ता प्रधान मांस की विश्वसनीयता को प्रोन्नत करता है।

एकीकृत प्रयासों के माध्यम से रूस के बाजार में भारतीय दुग्ध उत्पादो का प्रारंभ :–

भारत द्वारा भैंस के माँस के निर्यात को मंजूरी देने के पश्चात रूस ने दूध, पनीर तथा डेयरी उत्पादों पर आयात प्रतिबंद को हटा लिया है साथ ही उसे विश्वास है कि इन उत्पादों का आयात और अधिक किया जा सकेगा।

• भैंस का मांस वर्तमान में भारत की सर्वोच्च कृषि निर्यात उत्पाद

भारत ने 29282.58 करोड़ रूपए (4781.18 मिलियन डॉलर) के मूल्य का भैंस का मांस निर्यात किया। वित्तीय वर्ष 2013–14 की तुलना में 10.68 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी दर्ज की गई।

• मारीशस ने भारतीय आमों के लिए बाजार खोला–

मॉरीशस में भारतीय आमों के आयात हेतु रिपब्लिक ऑफ मॉरीशस के साथ 11 मार्च, 2015 को हुए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए जो प्रत्येक वर्ष की 1 अप्रैल से 31 अगस्त के मध्य निर्दिष्ट मात्रा हेतु विशिष्ट समयान्तराल के लिए 48°c तक ऊष्म जलीय उपचारण तथा 20 मिनिट तक 47°c पर ऊष्मीय जलीय उपचारण की संगरोधन प्रशमक उपायों के उपयोग के उपरांत प्रभावी रहेगा। भारतीय आमों के लिए उन्होने अभी से आयात (अनुमति) अनुज्ञापत्र जारी करना आरंभ कर दिया है।

ईरान को भारत द्वारा बासमती चावल का निर्यातः–

वाणिज्य मंत्रालय की अधिकारियों तथा व्यापार – प्रतिनिधियों के 20 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने बासमती चावल से संबंधित मुद्दो पर विमर्श करने तथा सोया–खाद्य उत्पादों एवं भैंस के मांस के निर्यात में वृद्धि की संभावनाओं को तलाशने हेतु ईरान का दौरा किया।

गत तीन वर्षों में भारत चावल के सबसे बड़े निर्यातक के रूप में उभरा है।

5. अवरंसना विकास

सामान्य अवसंरचना विकास का प्रतिस्थापना

हिमांचल प्रदेश

1 मैसर्स बागवानी उत्पाद विपणन एवं प्रसंस्करण निगम लि0 (हार्टीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग एंड प्रोसेसिंग कारर्पोरेशन लि0) शिमला, हि0 प्र0 को परवाणू, जिला सोलन, हिमांचल प्रदेश स्थित सेब के रस को सान्द्रित करने के संयंत्र के उन्नयन हेतु प्राधिकरण द्वारा 800.00 लाख रूपए की वित्तीय सहायता हेतु मंजूरी दी गई। यह भी निर्णय लिया गया कि यदि समूची निधिकरण एवं कार्य–निष्पादन समय सीमा में होता है तब एपीडा द्वारा परवर्ती अवस्था में रू. 1000.00 लाख रूपए की कुल राशि प्रदान करने पर भी विचार किया जा सकता है।

परियोजना की कुल लागत 1240.35 लाख रूपए है। एपीडा तथा एच पी एम एल के मध्य 22.9.2014 को समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। एपीडा द्वारा एच पी एम एल को 200.00 लाख रूपए की राशि प्रदत्त की जा चुकी है। इस परियोजना के द्वारा वर्तमान में सेब रस सांन्द्रण की प्रसंस्करण क्षमता में वृद्धि होगी।

2 मैसर्स फ्रेश एंड हेल्दी एन्टरप्राइजेज लि0, नई दिल्ली को किंगल, हिमांचल प्रदेश में सेब तथा अन्य बागवानी उत्पादों हेतु नियंत्रित वातावरण शीत भंडार की प्रतिस्थापना हेतु अवसंरचना विकास की योजना के तहत प्राधिकरण द्वारा रू. 800.00 लाख की वित्तीय सहायता की मंजूरी दी गई। परियोजना का कुल लागत 3945.00 लाख रूपए है।

महाराष्ट्र

1 मैसर्स महाराष्ट्र राज्य वेयर हाउसिंग निगम (एमएसडब्ल्यूसी), गुलटेकड़ी, पुणे को प्राधिकरण द्वारा गुलटेकड़ी, पुणे में शीत भंडार गृह की प्रतिस्थापना हेतु 800.00 लाख रूपए की वित्तीय सहायता अनुमोदित की गई है। परियोजना की कुल लागत 928.91 लाख रूपए है। एपीडा तथा एमएसडब्ल्यूसी के मध्य 22.9.2014 को समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किए गए तथा एपीडा द्वारा एमएसडब्ल्यूसी को 400.00 लाख रूपए की राशि निर्गमित की गई है। दुग्ध उत्पादो तथा ताजे फल एवं सब्जियों हेतु 2056 मीट्रिक टन की क्षमता वाले शीत भंडारगृह का निर्माण किया जाएगा।

2. मैसर्स महाराष्ट्र राज्य कृषि विपणन बोर्ड (एमएसएएमबी) को प्राधिकरण द्वारा गोरेगांव, मुंबई में सामान्य पैक हाउस परियोजना की प्रतिस्थापना हेतु 286.87 लाख रूपए के वित्तीय सहायता का अनुमोदन दिया गया। एपीडा तथा

एम एस ए एम बी के मध्य 27.12.2014 को समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। तदुपरांत एपीडा द्वारा 143.44 लाख रूपए की राशि निर्गमित की है। इस परियोजना की प्रतिस्थापना निर्यातकों द्वारा यूरोपीय संघ में पादप–स्वास्थ्य की गुणवत्ता संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति को ध्यान में रखते हुए की जा रही है। आमों हेतु ऊष्म जलीय नीत सुविधा के साथ प्रसंस्करण पद्धति को उपलब्ध कराया जाएगा तथा पूर्व शीतन के साथ शीत भण्डारगृह होगा जिससे क्षेत्र से आमों के निर्यात को बढ़ावा मिलेगा।

पंजाब–

मैसर्स पंजाब मार्कफेड **(MARKFED)** पंजाब को प्राधिकरण द्वारा जालंधर पंजाब में शहद प्रसंस्करण इकाई की स्थापना हेतु 800.00 लाख रूपए की वित्तीय सहायता को मंजूरी दी गई है। एपीडा तथा मार्कफेड के मध्य 22.12.2014 को समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किए गए हैं। एपीडा द्वारा मार्कफेड को 400.00 लाख रूपए की राशि निर्गमित की गई। संयंत्र की संस्थापन क्षमता प्रतिवर्ष 3000 मैट्रिक टन है।

केरल–

खाद्य अनुसंधान तथा विकास परिषद (सीएफआरडी), केरल को प्राधिकरण द्वारा वित्तीय वर्ष के दौरान ग्राम इलांजी, ताल्लुका मुवाट्टूपुजा, एरनाकुलम, केरल में फलों एवं सब्जियों के लिए अतिशीतित भंडारगृह तथा निर्जलीकरण सुविधा के प्रतिस्थापन हेतु वित्तीय सहायता को मंजूरी दी गई है। इस परियोजना के द्वारा केरल से निर्यात होने वाले कृषि–बागवानी उत्पादों के निर्यात तथा मूल्यवर्धन को प्रोत्साहन मिलेगा। परियोजना की कुल लागत 1055.00 लाख रूपए है। जिसमें एपीडा का योगदान 735.00 लाख रूपए हैं। एपीडा तथा सीएफआरडी के मध्य समझौता पत्र पर 19.03.2015 को हस्ताक्षर किए गए तथा तद्परांत एपीडा द्वारा सी एफ आर डी को 368.00 लाख रूपए की राशि निर्गमित की जा चुकी है।

मैसर्स सब्जी एवं फल प्रोत्साहक परिषद केरलम (वेजिटेबल एंड फ्रूट्स प्रमोशन कांउसिल केरलम, वीएफपीसी के) केरल को प्राधिकरण द्वारा वायनाड तथा त्रिचूर, केरल में एकीकृत पैकहाउस की प्रतिस्थापना हेतु वित्तीय सहायता अनुमोदित की गई है। इस परियोजना में एपीडा का योगदान 430.92 लाख रूपए का होगा। एपीडा तथा वीएफपीसीके के मध्य समझौता पत्र पर 20.03.2015 को हस्ताक्षर किए गए हैं। तद्परांत एपीडा द्वारा वीएफपीसीके को 215.00 लाख रूपए की राशि भी निर्गमित की जा चुकी है।

गुजरात–

गुजरात राज्य कृषि विपणन बोर्ड, गांधीनगर, गुजरात को कोडिनार, गुजरात में मूंगफली के निर्यात हेतु शीत भंडारण सुविधा की प्रतिस्थापना हेतु प्राधिकरण द्वारा वर्ष के दौरान वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई । परियोजना की कुल लागत 684.90 लाख रूपए है जिसमें से एपीडा का योगदान 539.18 लाख रूपए होगा।

जम्मू तथा कश्मीर–

जेएंडके एग्रो द्वारा श्रीनगर में अखरोट हेतु प्रसंस्करण इकाई की प्रतिस्थापना को प्राधिकरण द्वारा वर्ष 2014–15 के दौरान अनुमोदित किया जा चुका है। समझौता–पत्र पर हस्ताक्षर होने शेष हैं।

वैयक्तिक निर्यातक –

एपीडा ने वित्तीय वर्ष 2014–15 के दौरान अवसंरचना विकास योजना के विभिन्न अवयवों के अन्तर्गत 23 निर्यातकों को वित्तीय सहायता प्रदान की है तथा उपरोक्त हेतु 323.00 लाख रूपए की राशि निर्गमित की है।

शीत – श्रृंखला क्षमता का निर्माण

प्रधानमंत्री कार्यालय के उपक्रमण के अन्तर्गत शीत–श्रृंखला अवसंरचना विकास –थ्रस्ट क्षेत्र के निर्माण और प्रबंधन हेतु एपीडा ने 6867 मीट्रिक टन क्षमता के शीत भण्डारगृहों के निर्माण हेतु लक्ष्य निर्धारित किया है। पूर्व में यह लक्ष्य 5000 मीट्रिक क्षमता का था।

6. गुणवत्ता विकास

1) प्रयोगशालाओं एवं एच ए सी सी पी कार्यान्वयन एवं प्रमाणन एजेंसियों को मान्यता प्रदान करना।

(क) एपीडा द्वारा निर्यात हेतु अधिसूचित उत्पादों के विश्लेषण तथा सैम्पलिंग हेतु 31 प्रयोगशालाओं, जिनमें से सात नई प्रयोग–शालाएं भी सम्मिलित हैं, को मान्यता प्रदान की गई। निजी क्षेत्र की पांच प्रयोगशालाओं तथा एन आर सी ग्रेप्स पुणे में एक राष्ट्रीय रेफरल प्रयोगशाला का उच्च परिशुद्धता विश्लेषण उपकरणों के प्रतिस्थापन द्वारा उन्नयन किया गया।

(ख) इस अवधि के दौरान, आठ प्रमाणीकरण एजेंसियों तथा 4 कार्यान्वयन एजेंसियों को एचएसीसीपी के प्रमाणीकरण तथा कार्यान्वयन एजेंसी हेतु मान्यता प्रदान की ।

2) निर्यात हेतु प्रक्रियाओं का विकास तथा कार्यान्वयन :

(क) यूरोपीय संघ को ताजे टेबल अंगूरों के निर्यात की प्रक्रिया को कृषि रसायनों के अवशिष्ट नियंत्रण द्वारा खाद्य सुरक्षा अनुपालन की सुनिश्चितता हेतु निर्यात मौसम 2014–15 में अन्तिम रूप दे दिया गया है।

(ख) भारत से मूंगफली तथा मूंगफली उत्पादों के निर्यात की प्रक्रिया को आयातक देशों की खाद्य सुरक्षा अनुपालन हेतु सुनिश्चित कर दिया गया है।

(ग) यूरोपीय संघ ओकरा (भिंडी) के निर्यात हेतु स्वास्थ्य प्रमाण पत्र जारी करने हेतु प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है।

3) मूंगफली प्रसंस्करण इकाईयों की मान्यता हेतु प्रक्रियाओं का उन्नयन :–

(क) मूंगफली के निर्यात हेतु मूंगफली प्रसंस्करण इकाईयों को मान्यता प्रमाणपत्र प्रदान करने हेतु प्रक्रिया आरम्भ।

(ख) मूंगफली के निर्यात हेतु मूंगफली छीलन तथा अथवा ग्रेडिंग इकाइयों को मान्यता प्रमाणपत्र प्रदान करने हेतु प्रक्रिया का आरंभ।

(ग) यूरोपीय संघ को ओकरा (भिंडी) के निर्यात हेतु स्वास्थ्य प्रमाणपत्र जारी करने हेतु प्रक्रिया को अंतिम रूप दे दिया गया है।

4) मानकीकरण तथा सामंजस्य–

(अ) भारतीय गुणवत्ता परिषद के राष्ट्रीय तकनीकी कार्यशील समूह के सदस्य होने के कारण वैश्विक जीएपी तथा उत्तम कृषि पद्धतियों के राष्ट्रीय निर्वाचन में योगदान दिया।

(ब) 31 मार्च– 4 अप्रैल, 2014 के मध्य नीदरलैंड्स में खाद्य मिलावट पर आयोजित कोडेक्स समिति के आठवें सत्र में भाग लिया। खाद्य योग्य तैयार मूंगफली की प्रतिदर्शिता एवं विश्लेषण की प्रक्रियाओं तथा एफ्लाजीवविष के सकल स्तरों के निर्धारण हेतु अग्रसारी इलेक्ट्रॉनिक कार्यशील नवीन कार्य–प्रस्तावों पर कार्य किया जा रहा है।

(स) 5–10 मई, 2014 के दौरान नांजिंग, चीन में कीटनाशक अवशिष्टों पर आयोजित कोडेक्स समिति के 46वें सत्र में भाग लिया। संभावित फल एवं सब्जियों में उपस्थित रसायनों की अधिकतम अवशिष्ट स्तर के निर्धारण तथा प्रमुख एवं गौण पैदावारों के समूहीकरण में पहल करके भारत के हितों की रक्षा की ।

7. उत्पाद श्रेणियों में विकासात्मक गतिविधियाः

बागवानी क्षेत्र :

- **बाजार अभिगमन मुद्दे तथा लिए गए उपकरण :**

☐ **अनार हेतु बाजार अभिगमन** – यू एस के प्रमुख लाभप्रद बाजार होने के कारण एपीडा ने राष्ट्रीय पादप सुरक्षा संस्थान (एन पी पी ओ) के सहयोग से अनार हेतु बाजार अभिगमन के मुद्दे को अभिग्रहीत किया है। इस संदर्भ में, पादप स्वास्थ्य द्विपक्षीय बैठक का आयोग ने 3–5 मार्च, 2015 के मध्य कोलोरॉडो, यू एस में किया गया। एपीडा ने कृषि तथा सहकारिता विभाग (डीएसी), कृषि मंत्रालय के साथ इस द्विपक्षीय विमर्श में भाग लिया। इस विमर्श के परिणाम स्वरूप, अन्ततोगत्वा यू एस संगरोधन प्रशामक उपायों के प्रदीपन के साथ भारतीय अनार के बाजार अभिगमन को मंजूरी देने हेतु सहमत हो गया है।

☐ **न्यूजीलैंडः अंगूर हेतु बाजार अभिगमनः**

सुझाए गए प्रशामक उपाय यथा **So2 + Co2** तथा शीत उपचारण को स्वीकृत कर लिया गया है तथा न्यूजीलैंड के अधिकारीगण को इसे संप्रेषित कर दिया गया है।

केन्द्रीय उत्तर – उपज अभियांत्रिकी तथा तकनीकी संस्थान (सी आई पी एच ई टी), विशेषज्ञों एन आर सी – अंगूर तथा एपीडा से परामर्श के उपरांत एन पी पी ओ द्वारा धूम्रीकरण उपचारण हेतु संलेख विकसित किया जा रहा है।

☐ **दक्षिणी कोरिया में केले एवं अखरोट हेतु बाजार अभिगमन :**

कोरिया के प्रतिनिधिमंधल के साथ आयोजित द्विपक्षीय बैठकों के दौरान पुष्टि की गई कि छिलके सहित अखरोट हेतु कीट जोखिम विश्लेषण (पीआरए) की आवश्यकता नहीं है। दक्षिणी कोरिया के अधिकारीगण द्वारा इसकी पुष्टि भी की गई कि कच्चे केले का निर्यात पी आर ए के बिना भी किया जा सकता है। हालांकि, पके हुए केले के लिए पी आर ए आवश्यक होगा।

☐ **आस्ट्रेलिया**

☐ **आम हेतु बाजार अभिगम** : आस्ट्रेलिया के अधिकारीगण द्वारा पूर्व में ही सहारनपुर स्थित वाष्पीय ऊष्म उपचारण (वी एच टी) संयंत्र को अनुमोदित किया जा चुका है। तथा वी एच टी के अतिरिक्त प्रदीपन एवं ऊष्मजलीय उपचारण को भी प्रशामक उपायों के रूप में विचार करने हेतु विमर्श किया जा रहा है।

- **प्रतिनिधिमंडल के दौरे**

यूरोपीय संघ ने आमों, अरबी, बैंगन, करेले तथा परवल पर प्रतिबंध लगाया था जो 1 मई, 2014 से प्रभावी था। यूरोपीय अधिकारियों के समक्ष भारत ने इस मुद्दे को अभिग्रहीत किया तथा हमारे निवेदन की प्रतिक्रिया में, यूरोपीय संघ एफ वी ओ लेखी प्रतिनिधि दल ने

2–12 सितंबर, 2014 के दौरान भारतीय अधिकारियों द्वारा अपनाई जा रही फलों तथा सब्जियों के निर्माण प्रमाणीकरण पद्धतियों के सत्यापन हेतु भारत का दौरा किया।

2 सितंबर, 2014 को कृषि मंत्रालय में आरंभिक बैठक आयोजित की गई तथा ईयू. दल ने निम्नलिखित स्थानों का दौरा किया :

- क्षेत्रीय पादप संगरोधन अवस्थान, मुंबई
- एयर कारगो काम्प्लैक्स, नई दिल्ली, बैंगलौर तथा कोचीन
- 6 पैक हाऊस (महाराष्ट्र में 2, कर्नाटक में 1, केरल में 1 तथा पंजाब में 2)

भ्रमण के दौरान, विमर्श आयोजित किए गए तथा ऊष्म जलीय उपचारण कीटमुक्त आमों हेतु संभावित प्रशामक उपाय के रूप में विचारार्थ किया गया।

ई यू दल ने एक लिखित रिपोर्ट भेजी जिसमें उन्होंने भारतीय प्राधिकरणों यथा एपीडा तथा एन पी पी ओ द्वारा निर्यात की प्रक्रिया को कारगर बनाने हेतु किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। परिणाम स्वरूप, ईयू द्वारा प्रेषित सूचना के अनुसार यह मुद्दा शीघ्र ही सुलझा लिया जाएगा तथा आने वाले कुछ माह में यह प्रतिबंध हटा लिया जाएगा।

पशुधन क्षेत्र

- **बाजार अभिगमन मुद्दे तथा लिए गए उपक्रमणः**

★ सऊदी खाद्य एवं औषधि प्राधिकरण (एसएफडीए), सऊदी अरब के एक प्रतिनिधिमंडल ने एपीडा द्वारा पंजीकृत बूचड़खानों तथा मांस प्रसंस्करण संयंत्रों का निरीक्षण करने हेतु जनवरी तथा फरवरी, 2014 में भारत का दौरा किया तथा सऊदी अरब को मांस तथा मांस उत्पादों के निर्यात हेतु 29 बूचड़खानों सह मांस प्रसंस्करण संयंत्रों को अनुमोदित किया गया।

★ शालिहोत्री सेवा विभाग (डीवीएस), जैव–सुरक्षा एवं एसपीएस प्रबंधन अनुभाग, महानिदेशक, शालिहोत्री सेवा, कृषि मंत्रालय, मलेशिया ने एपीडा द्वारा पंजीकृत एकीकृत बूचड़खानों तथा मांस प्रसंस्करण संयंत्रों के निरीक्षण हेतु मई–जून, 2014 में एक निरीक्षण दल को भारत भेजा तथा इस दल ने मलेशिया को किए जाने वाले मांस एवं मांस उत्पादों के निर्यात हेतु 12 बूचड़खानों सह मांस प्रसंस्करण संयंत्रों को अनुमोदित किया है।

★ शालिहोत्री सेवा महासंस्थान (जीओवीएस), मिस्र के अरब गणराज्य के प्रतिनिधि मंडल ने एपीडा द्वारा पंजीकृत एकीकृत बूचड़खानों तथा मांस प्रसंस्करण संयंत्रों के निरीक्षण हेतु अगस्त, 2014 में भारत का दौरा किया तथा मिस्र में मांस तथा मांस उत्पादों के निर्यात हेतु 30 बूचड़खानों सह मांस प्रसंस्करण संयंत्रों को अनुमोदित किया।

★ हांगकांग में भारतीय मांस हेतु बाजार अभिगमन पर विचार करने हेतु हांगकांग के एक प्रतिनिधिमंडल ने

सितंम्बर, 2014 में भारत का दौरा किया तथा एपीडा द्वारा पंजीकृत एकीकृत बूचड़खानों एवं माँस प्रसंस्करण संयंत्रों का निरीक्षण किया। परिणामस्वरूप हांगकांग द्वारा आरंभिक रूप से एक बूचड़खाना सह प्रसंस्करण संयंत्र को हांगकांग में मांस–निर्यात हेतु अनुमोदित किया गया है। भारतीय कुक्कुट उत्पादों पर भी विचार किया जा रहा है तथा इस बात की संभावना है कि हांगकांग का बाजार भारतीय कुक्कुट उत्पादों के निर्यात हेतु खोल दिया जाएगा।

★ संघीय शालीहोत्री एवं पादप–स्वास्थ्य अनुवेक्षण सेवा (एफ एस वी पी एस), रूस ने द्विपक्षीय विमर्श के पश्चात् अंततः मांस उत्पादों हेतु बाजार अभिगमन को मंजूरी दी है। आरंभिक रूप से एपीडा हेतु पंजीकृत चार एकीकृत बूचड़खानों सह मांस प्रसंस्करण संयंत्रों को भारत से नवंबर, 2014 में रूस में मांस तथा मांस उत्पादों के निर्यात हेतु अनुमोदित किया गया है।

★ कृषि एवं मत्स्य स्त्रोत हेतु जन प्राधिकरण (पीएएएफआर), कुवैत के प्रतिनिधिमंडल ने भारत की एक अग्रणी कुक्कुट इकाई के निरीक्षण हेतु तथा भारतीय कुक्कुट एवं कुक्कुट उत्पादों के बाजार अभिगमन पर विचार करने हेतु जनवरी, 2015 में भारत का दौरा किया। प्रतिनिधिमंडल ने इस दौरे के उपरांत सुविधाओं की स्थिति पर संतोष जताया तथा संबंधित प्राधिकरणों द्वारा रोग नियंत्रण हेतु कुक्कुट फार्मों में जैव–सुरक्षा तथा वर्गीकरण को सुनिश्चित करने हेतु किए जा रहे उपायों पर संतुष्टि जाहिर की।

★ भारत ने यूएई शालीहोत्री विभाग को कुक्कुट उत्पादों के अभिगमन पर विचार करने हेतु निमंत्रण भेजा है।

★ एपीडा ने यूक्रेन के शालीहोत्री अधिकारियों को भी भारतीय माँस उत्पादों के बाजार अभिगमन को मंजूरी देने हेतु निमंत्रण भेजा है।

★ भारत तथा वियतनाम के मध्य भारत से विभिन्न कृषि उत्पादों एवं मांस उत्पादों के निर्यात की संभावनाओं को बढ़ाने हेतु द्विपक्षीय विमर्श आयोजित किए जा रहे हैं।

व्यापार तथा अन्य एंजेसियों के साथ पारस्परिक विमर्श –

★ अवशिष्ट नियंत्रण के एफएसएसएआई के नवीनतम घरेलू मानकों को अपनाए जाने की आवश्यकता के संदर्भ में जागरूकता लाने हेतु शहद उत्पादकों तथा निर्यातकों के साथ एक परस्पर बैठक का आयोजन किया गया।

★ शहद निर्यातकों को प्रसंस्करण इकाईयों की गुणवत्ता सिस्टम में रखने तथा उसके उन्नयन हेतु शहद में प्रति जीवाणु की मात्रा की रोकथाम के लिए नवीनतम

परीक्षण उपकरणों के प्रतिस्थापन हेतु प्रोत्साहित किया गया।

★ एपीडा ने निर्यात पर्यवेक्षण एजेंसी (ई आई सी) से विमर्श के उपरांत बाजार अभिगमन हेतु एफ एस वी पी एस, रूस द्वारा निरीक्षण हेतु उनकी इकाई को सम्मिलित किए जाने के लिए कुछ अग्रणी दुग्ध संयंत्रों के नाम सुझाए हैं।

परियोजना प्रस्ताव –

★ अनुसंधान तथा विकास उपक्रमणों के अन्तर्गत एपीडा ने राष्ट्रीय मांस अनुसंधान केन्द्र, हैदराबाद को पशुओं (भैसों) में होने वाले सारको साईटोसिस के कारणों तथा उसकी रोकथाम हेतु एक परियोजना प्रदत्त की है।

★ भारत से होने वाले ताजे सुअर मांस के निर्यात हेतु दिशा निर्देशों का प्रारूप प्रस्तुत किया जा चुका है।

★ टेवल अण्डों के निर्यात हेतु पैकेजिंग मानकों को विकसित करने के उद्देश्य से भारतीय पैकेजिंग संस्थान को एक परियोजना प्रदत्त की गई है।

यह परियोजना अण्डा निर्यातकों को (शेल्फ) सैकत–जीवन की अवधि बढ़ाने तथा टूट–फूट से बचाव करने में सहायक होगी।

खाद्यान्न क्षेत्रः

1. जी1 के रूप में बासमती चावल का पंजीकरण

भारत सरकार द्वारा बासमती चावल में निहित बौद्धिक संपदा की सुरक्षा हेतु एपीडा को उत्तरदायित्व सौंपा गया है। जी1 के रूप में बासमती चावल के पंजीकरण हेतु एपीडा ने नवंबर, 2008 में आवेदन–पत्र प्रस्तुत किया था जिस पर 31 दिसंबर, 2013 को जी1 पंजीयन का आदेश निर्गत किया गया।

अधिवक्ताओं के मतानुसार जी1 पंजीयन के आदेशों का पालन करते हुए बासमती चावल का उत्पादन करने वाले सभी वास्तविक क्षेत्रों (जिनमें तनिक भी क्षेत्र को आरक्षित नहीं रखा गया हो) को सम्मिलित करके आवेदन पत्र को प्रस्तुत करना व्यवहार्य नहीं है। इस आदेश के अनुपालन की अव्यवहारिकता के मद्देनजर, एपीडा ने बौद्धिक संपदा पुनरावेदन बोर्ड, चेन्नई के समक्ष जी1 आदेश के विरूद्ध एक अपील दायर की है।

2. बीईडीएफ प्रयोगशाला का प्रत्यापन –

एपीडा द्वारा संस्थापित तथा 2002 में संस्था (सोसाइटी) के रूप में पंजीकृत बासमती निर्यात विकास फाउंडेशन (बीईडीएफ) को उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार के साथ विविध अंशधारकों यथा कृषक, व्यापारी, मिल–मालिक तथा निर्यातक व्यवसायियों के मध्य आपूर्ति ऋंखला को सुदृढ़ करने हेतु एकीकरण संबंधी गतिविधियों का उत्तरदायित्व सौंपा गया है।

बासमती चावल के गुणवक्ता आश्वस्ति तथा प्रमाणीकरण हेतु एस वी बी पी कृषि तथा तकनीकी विश्वविद्यालय,

मोदीपुरम, मेरठ (उ0प्र0) के प्रांगण के एक विश्वस्तरीय प्रयोगशाला की स्थापना की गई है। इस प्रयोगशाला मे डी. एन. ए. (प्रोफाइलिंग) पार्श्वदृश्यन, कीटनाशक अवशिष्ट परीक्षण तथा भौतिक मानकों के आधार पर गुणवत्ता परीक्षण की सुविधाएं उपलब्ध है। डी पी एफ टी द्वारा इस प्रयोगशाला को विविध अभिनिर्धारणों तथा डी. एन. ए. परीक्षण हेतु ग्राहकों द्वारा लाए गए बासमती चावल के अधिदर्शों के परीक्षण हेतु अधिकृत केन्द्र के रूप में अधिसूचित किया गया है।

यह प्रयोगशाला परीक्षण एवं अनुसंधान प्रयोगशालाओं हेतु राष्ट्रीय प्रत्यापन बोर्ड (एन ए बी एल) द्वारा आई ए एन ओ/आईईसी 17025:2005 के अन्तर्गत प्रत्यापित की गई है। डी एन ए फिंगरप्रिन्टिंग तथा डायग्नोस्टिक नैदानिक केन्द्र, हैदराबाद द्वारा डी एन ए परीक्षण को बासमती विकास निधि से सहायता प्राप्त होती है।

3. बासमती चावल हेतु संविदाओं का पंजीकरण –

बासमती चावल के निर्यात की अनुमति एपीडा द्वारा लदान से पूर्व संविदाओं के पंजीकरण के उपरांत दी जाती है। अप्रैल, 14 से मार्च, 15 तक निर्यात हेतु लगभग 37.70 लाख मीट्रिक टन संविदाओं का पंजीकरण किया जा चुका है।

4. बासमती उपजाने वाले राज्यों के कृषकों हेतु बीईडीएफ द्वारा कार्यशालाओं का आयोजन –

वर्ष के दौरान, बासमती निर्यात विकास फाउंडेशन ने बासमती उपजाने वाले राज्यों यथा पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश तथा उत्तराखंड में प्रदर्शन तथा फार्म प्रशिक्षण के माध्यम से निर्यात हेतु उत्तम गुणवत्ता के बासमती चावल के उत्पादन हेतु कृषकों को अधिक जागरूक बनाने के लिए "निर्यात हेतु बासमती चावल के उत्पादन में गुणवत्ता सुधार" पर 14 कार्यशालाएं आयोजित की ।

5. गैर–बासमती चावल के निर्यात के पुनरीक्षण पर कार्यशाला –

विगत तीन वर्षो के दौरान भारत विश्व भर में चावल का सबसे बड़े निर्यातक के रूप में उभरा है। वर्ष 2014–15 के दौरान भारत इस स्थिति को बनाए रखने हेतु आशान्वित है। चावल के वार्षिक निर्यात की वर्तमान मात्रा लगभग 12 लाख मीट्रिक टन है।

इसमें से, गैर–बासमती चावल का निर्यात 8.2 लाख मीट्रिक टन है। इस निर्यात प्रदर्शन में दक्षिणी राज्यों का उल्लेखनीय योगदान रहा है। अतएव, एपीडा ने गैर बासमती चावल के निर्यात के पुनरीक्षण हेतु 5 दिसंबर, 2014 को हैदराबाद में एक कार्यशाला आयोजित की। सीमान्ध्र, तेलंगाना, तमिलनाडु तथा कर्नाटक राज्यों के लगभग 100 प्रतिभागी कार्यशाला में उपस्थित रहे। इसके अतिरिक्त चावल निर्यातकों तथा मिल–मालिकों की

कई संस्थानों ने भी इसमें भाग लिया। कार्यशाला में निम्नलिखित मुद्दों पर विमर्श किया गया:

(i) गैर–बासमती चावल के निर्यात को प्रोत्साहित करने हेतु केन्द्र/राज्य सरकार से नीतिगत समर्थन।

(ii) निर्यात प्रक्रियाओं से संबंधित मुद्दे

(iii) गुणवत्ता संबंधी मामले तथा विशिष्ट बाजारों हेतु बाजार अभिगमन आवश्यकताएं।

(iv) इकाई मूल्य–वर्धन में अभिवृद्धि हेतु किए गए उपाय।

6. अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों में बासमती चावल के उन्नयन पर विशेष संकेन्द्रण:

अधिकांश अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों में जहाँ भी एपीडा की भागीदारिता रही, बासमती चावल के उन्नयन पर विशेष संकेन्द्रण किया गया। वर्ष के दौरान अखिल भारतीय चावल निर्यातक संघ के साथ स्याल, पेरिस, (विश्व खाद्य), मास्को, सऊदी एग्रो खाद्य मेला तथा आई एफ ई, लंदन में विशेष उन्नयन कार्यक्रम आयोजित किए गए। श्री संतोष कुमार सारंगी, संयुक्त सचिव, वाणिज्य विभाग तथा अध्यक्ष, एपीडा ने 31 जनवरी –03 फरवरी, 2015 के मध्य ईरान का दौरा किया।

7. चीनी–निर्यात हेतु संविदाओं का पंजीकरण:

विदेश व्यापार नीति (एफ टी पी) के अध्याय 17 के अन्तर्गत किए गए प्रावधान के अनुसार चीनी (कच्ची एवं परिष्कृत) के आयात हेतु एपीडा द्वारा संविदा का पंजीकरण आवश्यक है। मार्च, 2015 तक 528092 मीट्रिक टन कच्ची चीनी तथा 266.66 मीट्रिक टन श्वेत/परिष्कृत चीनी के निर्यात हेतु संविदाओं का पंजीकरण किया जा चुका है।

प्रसंस्कृत खाद्य क्षेत्र:

1 व्यापार उन्नयन गतिविधियां:

वर्ष 2014–15 के दौरान प्रसंस्कृत खाद्य प्रभाग द्वारा विभिन्न आउटरीच कार्यक्रम आयोजित किए गए।

★ 10 नवंबर, 2014 को एपीडा अध्यक्ष की अध्यक्षता में प्रसंस्कृत खाद्य निर्यातकों के साथ एपीडा में एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में विदेशों में प्रसंस्कृत खाद्य के उन्नयन पर निर्यात नीति निर्धारण, प्रसंस्कृत खाद्य क्षेत्र से संबंधित व्यापार–मुद्दे, तथा एपीडा द्वारा प्रदत्त वित्तीय सहायता के संदर्भ में जागरूकता बढ़ाने इत्यादि पर विमर्श किया गया।

★ 19.12.2014 को बिस्कुट निर्यातकों की बैठक आयोजित की गई जिसमें निर्यात संबंधी व्यापार–मुद्दों पर विचार–विमर्श किया गया।

★ 21.01.2015 को 'अन्यंत्र कहीं भी उल्लेखित नहीं' (एन एस ई) श्रेणी के अन्तर्गत निबद्ध बिस्कुट निर्यातकों एवं प्रसंस्कृत उत्पाद निर्यातकों के साथ बैठक का आयोजन किया गया। जिसमें उपरोक्त उत्पादों के निर्यात–प्रोत्साहन हेतु कार्य–योजना पर विमर्श किया गया।

★ अध्यक्ष, एपीडा, सचिव एफ पी आई मंत्रालय तथा वाणिज्य सचिव की उपस्थिति में 12 मार्च, 2015 को भारत से निर्यात होने पर मूल्य–वर्धित उत्पादों के निर्यात के प्रोत्साहन के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण सत्र का आयोजन किया गया।

★ मार्च, 2015 में एपीडा तथा अर्ध–निर्जल–अनुवर्तनी हेतु अन्तर्राष्ट्रीय पैदावार अनुसंधान संस्थान (आई सी आर एस ए टी) द्वारा संयुक्त रूप से ज्वार एवं ज्वार उत्पादों पर द्विदिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया।

प्रसंस्कृत खाद्य प्रभाग ने विभिन्न अवसरों पर आयोजित परिसंवाद/कार्यशालाओं में योगदान दिया है। यथाः–

- भारतीय प्रसंस्कृत क्षेत्र पर राष्ट्रीय निर्वाचिका सभा।
- गुड़ उद्योग के आधुनिकीकरण तथा गुड़–उत्सव पर राष्ट्रीय अधिवेशन।
- खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के उद्यमियों में कौशल–वर्धन तथा राज्य खाद्य प्रसंस्करण मिशन के संदर्भ में जागरूकता।
- मूंगफली अनुसंधान निदेशालय, जूनागढ़ आईसीएआर –अन्तरापृष्ठ बैठक।
- निर्यात प्रोत्साहन हेतु व्यापार–विपणन प्रोत्साहन से संबंधित मुद्दों पर विमर्श करने के लिए भारतीय आयलसीड्स एवं उत्पाद निर्यात प्रोत्साहन परिषद का वार्षिक व्यापार अधिवेशन।

- प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के निर्यात के संवर्धन हेतु महत्वपूर्ण मुद्दों पर विमर्श।

मूंगफली पैदावार हेतु उपग्रह आधारित पैदावार सर्वेक्षणःव्यापार की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए तथा मूंगफली पैदावार के लगभग परिशुद्ध अनुमान की भविष्यवाणी पर विचार करने हेतु एपीडा ने आई ओ पी ई पी सी खरीफ 2014 के दौरान मूंगफली पैदावार हेतु उपग्रह आधारित पैदावार सर्वेक्षण पर अध्ययन का दायित्व सौंपा है। इस पैदावार सर्वेक्षण में नौ राज्य यथा आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, ओडिशा तथा तमिलनाडु सम्मिलित हैं।

"प्रसंस्कृत खाद्य/मूल्य–वर्धित उत्पादों के निर्यात को प्रोत्साहन" विषय पर एक महत्वपूर्ण पर्चा तैयार किया गया तथा वाणिज्य मंत्रालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

2. प्रसंस्कृत खाद्य क्षेत्र में गुणवत्ता विकासः

i) गुणवत्ता प्रबंधन पद्धतियों को कार्यान्वयित करना/प्रयोगशालाओं को सुदृढ़ बनाना : एपीडा प्रसंस्कृत खाद्य क्षेत्र में गुणवत्ता प्रबंधन पद्धतियों को कार्यान्वयित किए जाने हेतु प्रयासरत है, निर्यातकों के लिए इसे लाभप्रद बनाना, आंतरिक गुणवत्ता नियंत्रक प्रयोगशालाओं को

सुदृढ़ बनाने हेतु खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में वित्तीय सहायता प्रदान करना, अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत गुणवत्ता प्रबंधन पद्धतियां यथा बी आर सी, आई एस ओ 22000 तथा एचएसीसीपी इत्यादि वर्ष 2014–15 के दौरान भी जारी रहा। इन प्रयासों से लाभान्वित होने वालों निर्जलीकृत सब्जियों, प्रसंस्कृत फल एवं सब्जियां, अतिशीतित फल एवं सब्जियां, मूंगफली, ग्वारगम तथा बेकरी एवं कन्फेकशनरी उत्पाद जैसे अन्य प्रसंस्कृत खाद्यों के निर्यातक सम्मिलित हैं।

8 अन्तर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय मेलों/प्रदर्शनियों/कार्यक्रमों में भागीदारी–

अन्तर्राष्ट्रीय मेलों/प्रदर्शनियों/कार्यक्रमों में भागीदारीः

- **मलेशिया अन्तर्राष्ट्रीय खाद्य एवं पेय–पदार्थ व्यापार मेला (एमआईएफबी) कुआलालंपुर, मलेशिया, 19–21 जून, 2014**: एपीडा ने मलेशिया अन्तर्राष्ट्रीय खाद्य एवं पेय–पदार्थ व्यापार मेला, 2014, कुआलालंपुर में भागीदारी की । यह मेला दक्षिणी–पूर्वी देशों में सर्वाधिक प्रतिष्ठित तथा वृहत अन्तर्राष्ट्रीय खाद्य एवं पेय–पदार्थ प्रदर्शियों में से एक है तथा अपनी तरह के महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय मेलों में से एक है। यह मेला 19–21 जून, 2014 के दौरान आयोजित किया गया।

  श्री आर.के. बोयल, निदेशक एपीडा ने श्रीमती विनीता सुधांशु, सहायक महाप्रबंधक, एपीडा, मुंबई के सहयोग से 19–21 जून, 2014 के दौरान आयोजित होने वाले 15वें मलेशियन अन्तर्राष्ट्रीय खाद्य एवं पेय–पदार्थ व्यापार मेला, कुआलालंपुर, मलेशिया में एपीडा की भागीदारी हेतु व्यवस्था की। इस अवसर पर अन्तर्राष्ट्रीय खाद्य एवं पेय–पदार्थ उद्योगों के नवीनतम उत्पाद, सभी प्रकार की खाद्य उद्योगों हेतु मशीनरी, वितरण–प्रणाली तथा उपभोक्ता के स्वादानुरूप उत्पाद प्रस्तुत किए गए। मेले के दौरान बासमती चावल की वेट सैम्पलिंग तथा भारतीय आमों की भी व्यवस्था की गई।

  एपीडा ने 54 वर्ग मीटर का क्षेत्र लिया तथा विभिन्न उत्पादों यथा ताजे फल एवं सब्जियां, खाने को तैयार खाद्य पदार्थ, निर्जलीकृत प्याज, फलों के रस, अल्पाहार एवं मिठाईयां तथा अन्य प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के 8 निर्यातकों ने एपीडा के माध्यम से इस मेले में भाग लिया।

- **बिग सेवन/साइटेक्स, जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका, 22–24 जून, 2014**: एपीडा ने 22–24 जून, 2014 के दौरान आयोजित बिग सेवन/साइटेक्स, जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में भागीदारी की। एपीडा ने भारती पंडाल हेतु 100 वर्ग मीटर का क्षेत्र लिया। मेले में श्री विनोद के कौल, उपमहाप्रबंधक तथा श्री टी सुधाकर, उपमहाप्रबंधक ने एपीडा का प्रतिनिधित्व किया।

- **समर फैन्सी फूड एंड कन्फेक्शरी शो,' न्यूयार्क, यूएसए, 29 जून से 1 जुलाई, 2014**: डा. सुधांशु, उपमहाप्रबंधक, एपीडा ने श्री ए. एस रावत, महाप्रबंधक, के सहयोग से 29 जून से 1 जुलाई, 2014 के दौरान जैकब के जेविट्स कन्वेशन सेन्टर, न्यूयार्क में आयोजित 60वें समर फैन्सी फूड शो 2014 हेतु व्यवस्था की। यह मेला 29 जून से 1 जुलाई, 2014 के दौरान आयोजित किया गया तथा यह विश्वभर से हजारों अग्रणी ब्रांड खाद्य उत्पाद क्रेताओं के आकर्षण का केन्द्र था।

  एपीडा ने इस मेले के दौरान अपनी भागीदारी की व्यवस्था हेतु 200 वर्ग मीटर का क्षेत्र लिया तथा 12 निर्यातकों ने इस मेले में भाग लिया। 10 अन्य प्रमुख निर्यातकों ने मेले में प्रदर्शित किए जाने हेतु अपने उत्पादों के नमूने भेजे। एपीडा द्वारा बासमती चावल, ताजे आम, प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ, अचार व चटनियां, अल्पाहार–खाद्य इत्यादि खाद्य पदार्थों की विस्तृत ऋंखला प्रदर्शित की गई। एपीडा ने भारतीय बासमती चावल तथा सुरा के साथ भारतीय बीयर एवं भारतीय आमों तथा बिरयानी की वेट सैम्पलिंग हेतु प्रोत्साहक कार्यक्रम आयोजित किया।

श्री ए. एस. रावत, महाप्रबंधक तथा श्री सुधांशु, उपमहाप्रबंधक ने एपीडा का प्रतिनिधित्व किया।

- **सऊदी एग्रो फूड – रियाद, सऊदी अरब, 7–10 सितंबर, 2014:** एपीडा ने 7–10 सितंबर, 2014 को रियाद इंटरनेशनल कन्वेनशन एंड एक्जीबिशन सेन्टर (आर आई सी ई सी), रियाद, सऊदी अरब में आयोजित खाद्य उत्पादों, संघरकों तथा तकनीक पर आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, सऊदी एग्रो–फूड मेला 2014 में भाग लिया।

  एपीडा तथा आई टी पी ओ के अन्तर्गत लगभग 50 भारतीय कंपनियों ने इस मेले में भागीदारी की तथा कृषि एवं खाद्य उत्पादों की विस्तृत ऋंखला प्रदर्शित की । एपीडा की भागीदारी की व्यवस्था डा. तरूण बजाज, महाप्रबंधक तथा श्री आर. के. मंडल, उप–महाप्रबंधक, एपीडा द्वारा की गई थी।

- **वर्ल्ड फूड मास्को, मास्को, रूस 15–18 सितंबर 2014:** एपीडा ने 15–18 सितंबर 2014 के दौरान आयोजित वर्ल्ड फूड मास्को–2014 में भाग लिया। श्री सुनील कुमार, महाप्रबंधक ने मेले में एपीडा की भागीदारी समन्वित की। श्री संतोष सारंगी, अध्यक्ष एपीडा ने उच्चतर व्यापार उन्नयन हेतु, विशेषकर भारत से कृषि आधारित प्रसंस्कृत उत्पाद, मांस, समुद्री तथा दुग्ध उत्पादों के लिए संभावनाओं को तलाशने हेतु पाँच सदस्यीय व्यापार प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया।

- **स्याल 2014, पेरिस, फ्रांस– 19–23 अक्टूबर, 2014:** एपीडा ने 19 से 23 अक्टूबर, 2014 के दौरान पेरिस, फ्रांस में आयोजित स्याल 2014 खाद्य मेले में भागीदारी की तथा 700 वर्ग मीटर का क्षेत्र लिया। एपीडा इंडिया पंडाल की खाद्य–प्रसंस्करण मंत्रालय के सहयोग से संयुक्त रूप से व्यवस्था की गई थी। अतुल्य भारत की विषयवस्तु को केन्द्र में रखते हुए पंडाल को आकर्षक रंगों की काष्ठीय कारीगरी द्वारा तैयार किया गया था। इस मेले में एपीडा के साथ 50 से भी अधिक निर्यातकों ने भागीदारी की। भारत की विशिष्ट सुवास को सामने लाने के लिए भारतीय बासमती चावल के प्रोत्साहन हेतु विशेष प्रबंध किए गए जिसमें आगंतुकों को बासमती

चावल से निर्मित सामिष एवं आमिष बिरयानी के वेट सैम्पलिंग परोसे गए। एपीडा भारतीय पंडाल में भारतीय सुरा तथा बीयर को भी निशुल्क सैम्पल टेस्टिंग प्रचार के द्वारा प्रोत्साहित किया गया। एपीडा की भागीदारी की व्यवस्था डा. तरूण बजाज, महाप्रबंधक तथा श्री मानप्रकाश विजय सहायक महाप्रबंधक, एपीडा द्वारा की गई थी।

- **फूड लॉजिस्टिका, बर्लिन, जर्मनी – 4–6 फरवरी, 2015 एपीडा ने 4–6 फरवरी, 2015:** को बर्लिन जर्मनी में आयोजित फ्रूट लॉजिस्टिका में भाग लिया तथा इस के लिए 200 वर्ग का क्षेत्र लिया गया। श्री ए. एस. रावत, महाप्रबंधक, एपीडा तथा श्री विद्युत बरूआ, सहायक महाप्रबंधक ने ताजे फल एवं सब्जी उद्योग के 16 निर्यातक के साथ मेले में एपीडा का प्रतिनिधित्व किया। एपीडा पंडाल में ताजे फलों की श्रेणी में प्रदर्शित किए गए उत्पादों में अनार, आम, टेबल अंगूर तथा सब्जी श्रेणी के अन्तर्गत भिंडी, प्याज एवं मकई इत्यादि सम्मिलित थे।

- **गल्फूड 2015, दुबई, यूएई– 8–12 फरवरी, 2015:** 8–15 फरवरी, 2015 में दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, दुबई, यू.ए.ई. में इस मेले का आयोजन किया गया। एपीडा का प्रतिनिधित्व श्री संतोष कुमार सारंगी, अध्यक्ष तथा श्री एस. एस. नैय्यर, महाप्रबंधक, एपीडा द्वारा किया गया। एपीडा ने 752 वर्ग मीटर का क्षेत्र लिया जो भारतीय पंडाल का ही हिस्सा था। एपीडा के साथ खाद्यान्न तथा प्रसंस्कृत खाद्य–उत्पादों के 75 निर्यातकों ने मेले में भाग लिया। इसके अतिरिक्त विषय–वस्तु क्षेत्र में 10 निर्यातक अपने–अपने उत्पादों के साथ उपस्थित रहे।

- **फूडैक्स जापान, 2015 टोक्यो, जापान 3–6 मार्च, 2015:** 3–6 मार्च, 2015 के दौरान टोक्यो में आयोजित फूडैक्स जापान, 2015 में एपीडा ने भागीदारी की तथा इस हेतु 72 वर्ग मीटर का क्षेत्र लिया। एपीडा के माध्यम से 16 निर्यातकों ने इस मेले में भाग लिया। भागीदारी करने वाले निर्यातकों ने अपने स्टाल में विभिन्न उत्पादों यथा आई क्यू एफ फल तथा सब्जियां, निर्जलीकृत उत्पाद, आम का गूदा (मैंगो पल्प), खाने को तैयार खाद्य–उत्पाद, मूंगफली का मक्खन (पीनेट बटर) तथा खीरा (गर्किन) इत्यादि को प्रदर्शित किया। भारतीय दूतावास के सहयोग से चाय बोर्ड के साथ एक क्रेता–विक्रेता गोष्ठी भी आयोजित की गई। क्रेता–विक्रेता बैठक में लगभग 80 से भी अधिक प्रतिभागी उपस्थित रहे। डा. सुधांशु, उप महाप्रबंधक तथा श्री उमेश कुमार, सहायक महाप्रबंधक ने प्रदर्शनी में एपीडा का प्रतिनिधित्व किया।

- **आई एफ ई लंदन, लंदन, यूनाइटेड किंगडम– 22–25 मार्च, 2015:** एपीडा ने 22–25 मार्च, 2015 के दौरान आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय खाद्य एवं पेय–पदार्थ मेले में भाग लिया। श्री उपेन्द्र कुमार, उपमहाप्रबंधक तथा श्रीमती समिधा गुप्ता, सहायक महा प्रबंधक, एपीडा, ने मेले में एपीडा का प्रतिनिधित्व किया।

भारतीय पंडाल में कृषि उत्पाद यथा चावल, निर्जलीकृत सब्जियां, दालें, अल्पाहार, अतिशीतित अल्पाहार, ताजे प्रवर्तित खाने को तैयार उत्पाद जैसे साधारण प्रसंस्कृत मक्का, कैसावा (परिरक्षण के उपयोग रहित) खाद्यान्नों से निर्मित उत्पाद यथा पाप्पड़म, मुख–सुगंध उत्पाद औषधीय उत्पाद, मसालें एवं चटनियां, जैविक खाद्यान्न, कन्फैक्शरी तथा जिगोरी, फलों का गूदा तथा पेस्ट इत्यादि प्रदर्शित किए गए। 14 निर्यातकों ने इस मेले में भाग लिया तथा अपने उत्पाद प्रदर्शित किए।

घरेलू प्रदर्शनी / मेले / कार्यक्रम

- **आहार 2015**

एपीडा ने इस वर्ष 11 से 14 मार्च, 2015 तक प्रगति मैदान, नई दिल्ली में आयोजित 'मेक इन इंडिया' विषय वस्तु पर आधारित आहार 2015 में भागीदारी व्यवस्थित की। ।

एपीडा को हॉल संख्या–18 तथा 44 के महत्वपूर्ण स्थल पर 1500 वर्ग मीटर का स्थान आबंटित किया गया था। विभिन्न खाद्य उत्पादों यथा बेकरी उत्पाद, डिब्बाबंद उत्पाद, खाने के तैयार उत्पाद, निर्जलीकृत उत्पाद, कन्फेक्शरी, चॉकलेट, अतिशीतित खाद्य उत्पाद, मांस तथा मांस उत्पाद, शहद इत्यादि के निर्यातकों ने एपीडा की छत्र–छाया के अन्तर्गत इस प्रदर्शनी में भाग लिया।

9. जैविक उत्पाद हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम (एन पी ओ पी)

अक्तूबर 2001 से विदेश व्यापार विकास विनिमय (एफ टी डी आर) अधिनियम के तहत निर्यात हेतु जैविक उत्पाद के लिए राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम (एन पी ओ पी) वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। एन पी ओ पी के उद्देश्य में जैविक उत्पादों के विकास और प्रमाणीकरण हेतु नीतियाँ, जैविक उत्पादों का राष्ट्रीय मानक, प्रमाणीकरण निकायों को मान्यता प्रदान करना और जैविक उत्पादों का राष्ट्रीय मानकों के अनुपालन का प्रमाणीकरण और जैविक कृषि के विकास एवं प्रसंस्करण को प्रोत्साहन देना शामिल है।

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा 2001 में एन पी ओ के अनुपालन के पश्चात, भारत में जैविक कृषि में तीव्र गति से प्रगति की है। अब भारतीय जैविक उत्पादों ने विश्व बाजार में अपना महत्वपूर्ण स्थान बना लिया है और नई उचाँईयों पर पहुंचने के लिए तैयार है।

जैविक प्रमाणीकरण के अन्तर्गत क्षेत्र एवं उत्पादनः

वर्ष 2014–15 के दौरान जैविक प्रमाणीकरण के अन्तर्गत 3.7 लाख हेक्टेयर वन क्षेत्र सहित लगभग 4.9 लाख हेक्टेयर है। वन्य संग्रह सहित कुल जैविक उत्पादन 1.1 लाख मीट्रिक टन है।

निर्यात किए गए प्रमुख उत्पाद

वर्ष 2014–15 के दौरान 2099 करोड़ रूपए (तद्नुसार 327 लाख अमेरिकी डालर) की राशि के 285663 मीट्रिक टन मात्रा के कृषि उत्पादों का निर्यात किया गया। जिन देशों में जैविक उत्पादों को निर्यात किया गया उनमें सं. रा. अ., यूरोपीय संघ तथा कनाडा प्रमुख हैं। अन्य गंतव्य देश जहाँ जैविक उत्पादों का निर्यात किया गया उनमें स्विट्जरलैंड, जापान, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, मध्यपूर्व देश तथा एएसईएएन देश सम्मिलित है।

निर्यात किए गए प्रमुख उत्पादों में सोयाबीन, चीनी, बासमती चावल, चाय , दालें, मसालें, अलसी तथा प्रसंस्कृत खाद्य (आम का गूदा(मैंगो पल्प) तथा सोयाबीन आहार) इत्यादि हैं।

एन पी ओ पी में प्रस्तावित नए मानक

जैविक उत्पादों के निर्यात हेतु सर्वप्रथम 2001 में एनपीओपी मानक अधिसूचित किए गए थे। इन मानकों के अन्तर्गत पैदावार तथा उनका प्रसंस्करण, लेबलिंग, भंडारण तथा परिवहन सम्मिलित था। चूँकि, जैविक पशुधन तथा जलीय–जीव उत्पादों की उत्तम माँग है, अतः इन उत्पादों हेतु एनपीओपी 2014–15 के सप्तम संस्करण में नए मानक प्रस्तावित किए गये हैं। संशोधित एनपीओपी 2015–16 से लागू किया जाएगा।

अन्तर्राष्ट्रीय जैविक मेलों में व्यापार उन्नयन

वर्ष 2014–15 में एपीडा ने जैविक तथा प्रसंस्कृत उत्पादों पर आयोजित किए गए दो प्रमुख व्यापार मेलों में भागीदारी की।

(अ) बायोफैक जर्मनी 2015, न्यूरेम्बर्ग जर्मनी

एपीडा ने 11–14 फरवरी, 2015 के मध्य न्यूरेम्बर्ग, जर्मनी के प्रदर्शनी केन्द्र में आयोजित बायोफैक जर्मनी, 2015 में भाग लिया। एपीडा ने हाल संख्या–5 में 559 वर्गमीटर का स्थान उपलब्ध कराया जिनमें 23 निर्यातकों को स्थान सुरक्षित कराया गया इनमें मसाला निर्यातक भी सम्मिलित थे जिनके माध्यम से पुनः 5 निर्यातकों ने अपने उत्पादों को प्रदर्शित किया। मेले के औपचारिक समारोह के पश्चात् भारतीय वाणिज्य दूतावास के श्री सेवला नामक ने भारतीय पंडाल का उद्घाटन किया।

भारतीय पंडाल की साज–सज्जा हेतु इस वर्ष 'मेक इन इंडिया' की विषयवस्तु का चयन किया गया। पंडाल में विषयवस्तु के अनुरूप पोस्टर तथा सूचना पट्टिकाएं लगाई गई थी जिन्हें आगंतुको द्वारा बहुत सराहा गया।

ख) नेचुरल एक्सपो बेस्ट 2015, एनाहेम, सं. रा. अ.

भारतीय जैविक उत्पादों के बढ़ती वैश्विक मांग को ध्यान में रखते हुए, एपीडा ने 6–8 मार्च, 2015 के दौरान एनाहेम कन्वेषन सेन्टर, एनाहेम, कैलिफोर्निया, सं. रा. अ. में आयोजित प्राकृतिक उत्पाद वेस्ट/एनग्रीडिया में पहली बार भाग लिया। सं. रा. अ. जैविक उत्पादों का उत्तरोत्तर वृद्धि करना हुआ तथा विश्व के सबसे बड़े बाजार में एक है। इस विशिष्ट अवसर पर एपीडा द्वारा की गई भागीदारी ने सं. रा. अ. में जैविक उत्पाद प्रोत्साहन के नए द्वार खोले हैं।

एपीडा ने चूँकि पहली बार इस आयोजन में भागीदारी की थी अतः एपीडा द्वारा जैविक उत्पादों एवं उनके वैविध्य तथा भारत की सामर्थ्य को बासमती चावल, तुलसी चाय, काजू मसालें तथा चटनियों के माध्यम से दर्शाने तथा उनके उन्नयन पर विशेष बल दिया गया।

भारत के वाणिज्य दूत, राजदूत वेंकेटसन अशोक ने पंडाल का दौरा किया तथा भारतीय निर्यातकों से मुलाकात की। उन्होंने जैविक उत्पादों के निर्यात को प्रोत्साहन हेने हेतु एपीडा द्वारा किए गए प्रयासों की भी सराहना की।

क्षमता निर्माण

निम्न हेतु क्षमता निर्माण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया:

(अ) एनपीओपी से संबद्ध मूल्यांकन समिति सदस्यों एवं लेखा प्रक्रियाओं हेतु।

(ब) नवीन उत्पाद श्रेणी जलीय जीव से संबद्ध मूल्यांकन समिति के सदस्यों तथा प्रमाणीकरण निकायों हेतु।

प्रोत्साहन गतिविधियां:

पूर्वी, उत्तर–पूर्वी, पश्चिमी तथा उत्तरी क्षेत्र हेतु जैविक कृषि पर भुवनेश्वर, गुवाहाटी तथा नई दिल्ली में तीन सम्मेलनों का आयोजन किया गया।

- जैविक जलीय जीव उत्पादों के निर्धारण हेतु मूल्यांकन समिति के सदस्यों हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम:

  जैविक उत्पादों की प्रमाणीकरण क्षमता को सुदृढ़ करने हेतु –भारत में जलीय जीव उत्पादों के व्यापार–विकास हेतु क्षमता निर्माण उपक्रमण (सीआईटीडी) के अन्तर्गत यूरोपीय संघ के साथ एपीडा द्वारा 20–23 जनवरी, 2015 के दौरान नई दिल्ली में एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया।

इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रमुख उद्देश्य निम्न थे

- ❖ भारत में जैविक जलीय जीव उत्पादों के निर्धारण हेतु सी बी के प्रमाणीकरण कार्यक्रम के निर्धारण हेतु मूल्यांकन समिति के सदस्यों (लेखा–परीक्षक/निर्धारक) की क्षमता निर्माण का निर्माण करना।
- ❖ भविष्य में होने वाले मूल्यांकनों हेतु जैविक जलीय जीव उत्पादों तथा लेखा–प्रक्रियाओं को भली–भांति समझने की दृष्टि को विकसित करना।

10. पूर्वोत्तर क्षेत्र सहित एपीडा के क्षेत्रीय कार्यालयों की गतिविधियां–

क्षेत्रीय कार्यालय, मुंबई

क्षेत्रीय कार्यालय, मुंबई को देश के पश्चिमी क्षेत्र, जिनमें महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात तथा गोवा सम्मिलित हैं, से कृषि तथा प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के निर्यात उन्नयन का उत्तरदायित्व सौंपा गया है। क्षेत्रीय कार्यालय, मुंबई की गतिविधियों में शासनाधीन उत्पादों के विपणन तथा सेवाओं से संबंधित सूचनाओं को निर्यातकों तक प्रचार–प्रसार करना तथा वित्तीय सहायता योजनाओं को लागू किया जाना, बाजार की समझ तथा डाटा–बेस को सुदृढ़ करना, गुणवत्ता उन्नयन, शोध एवं विकास, अवसंरचना विकास, बाजार का विकास तथा परिवहन सहायता उपलब्ध कराया जाना इत्यादि सम्मिलित हैं। निम्नलिखित गतिविधियों को कार्यान्यवित किया गया–

1) **पंजीकरण सह सदस्यता प्रमाणपत्र तथा पंजीकरण सह आंबटन प्रमाणपत्र–** एपीडा क्षेत्रीय कर्यालय, मुंबई ने बासमती चावल हेतु 1650 पंजीकरण प्रमाणपत्र (आरसीएमसी) तथा 1092 पंजीकरण सह आबंटन प्रमाणपत्र (आरजीएसी) तथा कच्ची चीनी के आयात हेतु 84 प्रमाणपत्र निर्गत किए।

2) **पश्चिमी क्षेत्र में साझा अवसंरचना परियोजनाओं का अनुरीक्षण–** क्षेत्रीय कार्यालय ने पश्चिमी क्षेत्र में जारी साझा अवसंरचना परियोजनाओं की प्रगति का अनुरीक्षण किया। पश्चिमी क्षेत्र में नई प्रस्तावित परियोजनाओं हेतु पूर्व–आकलन दौरों को भी आयोजित किया गया। वर्ष के दौरान परियोजनाओं की समीक्षा हेतु कुछ साझा अवसंरचना सुविधाओं के सत्यापन को भी निष्पादित किया गया।

3) क्षेत्रीय कर्यालय ने विभिन्न संबंधित एंजेसियों जैसे एमएसएएमबी बागवानी विभाग, पशुपालन विभाग, एयर इंडिया, सीमा शुल्क विभाग इत्यादि के साथ निर्यात से संबंधित मुद्दों पर पारस्परिक विमर्श किया गया।

4) निम्नानुसार किए गए अन्य दैनिक कार्य:–

(i) परिवहन सहायता योजना (टीएएस):

वर्ष के दौरान, क्षेत्रीय कार्यालय, मुंबई ने निर्यातकों के टीएएस आवेदनों पर कार्यावाही की तथा अप्रैल, 2014 से मार्च, 2015 तक परिवहन सहायता योजना के अर्न्तगत 21.00 करोड़ रूपए की राशि प्रदत्त की गई।

(ii) राजभाषा का प्रर्वतन/प्रोत्साहन–

एपीडा, क्षेत्रीय कार्यालय मुबंई ने 14–28 सितंबर, 2014 को हिन्दी पखवाड़ा का आयोजन किया जिसमें विभिन्न प्रतियोगिताएं तथा निबंध लेख, कविता वाचन, अन्ताक्षरी तथा अन्य गतिविधियां आयोजित की गईं।

(iii) हिन्दी कार्यशाला:

एपीडा, क्षेत्रीय कार्यालय, मुंबई ने 20–22 नवंबर, 2014 को नासिक में हिन्दी राजभाषा पर एक कार्यशाला का आयोजन किया।

(iv) मांस संयंत्र पंजीकरण समिति का दौरा:–

क्षेत्रीय कार्यालय, मुबंई ने मांस निर्यातकों हेतु– एपीडा पंजीकरण प्रमाणपत्र को जारी करने के लिए 14 एकीकृत बूचड़खानों सह मांस–प्रसंस्करण संयंत्रों का निरीक्षण आयोजित किया।

(v) मूंगफली प्रसंस्करण मान्यता समिति का दौरा–

वर्ष के दौरान एपीडा मुंबई ने 11 मूंगफली प्रसंस्करण इकाईयों के पंजीकरण हेतु आईओपीईपीसी समिति

का दौरा आयोजित किया।

(vi) ईआईए पैनल निरीक्षण समिति का दौराः–

वर्ष के दौरान, एपीडा, मुंबई ने 3 दुग्ध प्रसंस्करण इकाईयों तथा रत्नागिरी में एक मैंगो पल्प (आम का गूदा) प्रसंस्करण इकाई के दौरे में ईआईए अन्तर्विभागीय पैनल निरीक्षण के दौरे में भाग लिया। दुग्ध के अतिरिक्त, रत्नागिरी में मैंगो पल्प (आम का गूदा) प्रसंस्करण इकाईयों का भी दौरा किया गया।

(vii) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय पैनल निरीक्षण समिति का दौराः–

वर्ष के दौरान, एपीडा मुंबई ने 5 शीत श्रृंखला परियोजनाओं में एमओपीएफआई पैनल निरीक्षण के दौरे में भी भाग लिया।

(viii) प्रतिनिधि मंडल –

वर्ष के दौरान, एपीडा मुंबई ने पश्चिमी क्षेत्र में अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि मंडलों के दौरों के समन्वयित किया।

i) मलेशिया के मांस प्रतिनिधि मंडल का दौराः (मई, 2014)

ii) न्यूजीलैंड प्रतिनिधि मंडल का दौराः (मई, 2014)

iii) मिस्र के प्रतिनिधि मंडल का दौराः (अगस्त, 2014)

iv) ईयूएफवीओ प्रतिनिधि मंडल का दौराः (सितंबर, 2014)

v) हांगकांग के प्रतिनिधि मंडल का दौराः (सितंबर, 2014)

vi) अल्जीरिया के मांस प्रतिनिधि मंडल का दौराः (नवंबर, 2014)

vii) डच प्रतिनिधि मंडल का दौराः (नवंबर, 2014)

viii) पीएएएफआर प्रतिनिधि मंडल का दौराः (जनवरी, 2015)

भौतिक सत्यापनः–

वर्ष के दौरान क्षेत्रीय कार्यालय, मुबंई द्वारा निर्यातकों को एपीडा द्वारा प्रदत्त की गई वित्तीय सहायता हेतु 19 भौतिक सत्यापन किए गए।

फलों एवं सब्जियों के गुणवत्ता उत्पादन हेतु निर्यातकों हेतु 5 मई, 2014 को क्रेता–विक्रेता बैठक का आयोजनः–

एपीडा, क्षेत्रीय कार्यालय मुंबई ने कृषि विभाग, (एमएआईसीपी परियोजना) के सहयोग से 5 मई, 2014 को निर्यात हेतु फलों एवं सब्जियों की गुणवत्ता उत्पादन के उन्नयन हेतु पश्चगामी सहलग्नता को सुदृढ़ करने के लिए एक क्रेता–विक्रेता बैठक के आयोजन में पांच प्रमुख फल एवं सब्जियां उत्पादन करने वाले जिलों ठाणे, पुणे, अहमदनगर, नासिक तथा सतारा के कृषकों ने भागीदारी की।

उ0प्र0 मंडी परिषद के साथ क्रेता–विक्रेता बैठकः–

क्षेत्रीय कार्यालय, मुंबई ने उ0प्र0 मण्डी परिषद के सहयोग से आम तथा सब्जियों के निर्यातकों के साथ होटल फॉरच्यून, नवी मुंबई में 4 अगस्त, 2014 की क्रेता–विक्रेता बैठक का आयोजन किया।

राष्ट्रीय प्रदर्शनियां:–

1. **खाद्य एवं पेय पदार्थ शो गोरेगांव, मुबंई:** क्षेत्रीय कार्यालय, मुंबई ने सीआईआई, मुंबई द्वारा 22–24 अगस्त, 2014 को आयोजित खाद्य एवं पेय–पदार्थ शो, गोरेगांव में एपीडा की भागीदारी की व्यवस्था की।

2. **खाद्य एवं आतिथ्य सत्कार, 2015:** क्षेत्रीय कार्यालय, मुंबई ने बांद्रा–कुर्ला काम्प्लेक्स, मुबंई में 22–24 जनवरी, 2015 को आयोजित प्रदर्शनी में भागीदारी की व्यवस्था की। 22 जनवरी, 2015 को आयोजित समारोह के उद्घाटन पैनल में डा0 सुधांशु उपमहाप्रबंधक, एपीडा ने भाग लिया।

समन्वयित दौरे/संगोष्ठी/कार्यशालाओं तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों/निरीक्षणों में भागीदारी:– वर्ष के दौरान, क्षेत्रीय कार्यालय, मुबंई ने राज्य/केन्द्र सरकार के संस्थानों के साथ लगभग 81 सभाओं/कार्यशालाओं/संगोष्ठियों इत्यादि का आयोजन/भागीदारी की।

1. **एफईआरए (फेरा) प्रशिक्षण कार्यक्रम:–** यूरोपीय संघ के देशों में फल एवं सब्जियों के आयात की मांगपूर्ति हेतु पर्याप्त मात्रा में क्षमता–निर्माण की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, एपीडा, क्षेत्रीय कार्यालय, मुबंई ने एफईआरए (फेरा), यू0 के0 माध्यम से एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। एफईआरए (फेरा) यू0के0 द्वारा एक वरिष्ठ संसाधन–अधिकारी ने प्रशिक्षण कार्यक्रम को संचालित किया गया। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम होटल फारच्यून, नवी मुबंई में 19, 20 तथा 21 अगस्त, 2014 को आयोजित किया गया था। प्रथम दो दिवसीय कार्यक्रम निर्यातकों के लिए आयोजित किया गया था तथा तीसरे दिन इस कार्यक्रम को पादप–सुरक्षा निरीक्षकों तथा प्रमाणीकरण निकायों के अधिकारी–वर्ग हेतु आयोजित किया गया था। सभी प्रतिभागियों के अनुसार इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में भागीदारी लाभप्रद थी।

2. **यूरोपीयसंघ एफवीओलेखा परीक्षण–** यूरोपीय संघ एफवीओ मिशन ने 2 से 12 सितंबर , 2014 को भारत का दौरा किया। इस प्रतिनिधि मंडल ने 3 से 6 सितंबर, 2014 के दौरान मुंबई का दौरा किया। क्षेत्रीय कार्यालय, मुंबई ने प्रतिनिधि मंडल के दौरे को आयोजित किया तथा इस दौरान निम्न बैठकों को आयोजन/भागीदारिता की गई–

   (अ) 3 सितंबर, 2014 को आरपीक्यूएस कार्यालय, मुंबई में आयोजित आरंभिक परिचालक बैठक।

   (ब) 3 सितंबर, 2014 को पेरिशेबिल कारगो केन्द्र, सहार मुंबई का दौरा।

   (स) क्षेत्रीय कार्यालय, एपीडा में 4 सितंबर, 2014 को यूरोपीय संद्य के प्रतिनिधि मंडल की ताजे फल एवं सब्जी निर्यातकों तथा पादप संगरोधन अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में श्री ए.एस रावत, महाप्रबंधक, एपीडा, श्री बी.के. कौल, परामर्शदाता, एपीडा, डा0 सुधांशु, उपमहाप्रबंधक, एपीडा तथा श्रीमती विनीता सुधांशु, सहमहाप्रबंधक, एपीडा, मुंबई ने भाग लिया।

   (द) 4 सितंबर, 2014 को मैसर्स रूचि एक्सपोर्ट तथा 5 सितंबर, 2014 को मैसर्स सावला एक्सपोर्ट प्रा0 लि0 में पैक हाऊस सुविधा के निरीक्षण हेतु दौरा आयोजित किया गया।

1. **मूंगफली निर्यातकों के साथ पारस्परिक बैठक:** 13 नवंबर, 2014 को श्री संतोष सारंगी, अध्यक्ष, एपीडा की अध्यक्षता में क्षेत्रीय कार्यालय, मुंबई ने अहमदाबाद स्थित होटल फारच्यून लैंडमार्क में एक पारस्परिक बैठक का आयोजन किया। इस बैठक में डा0 सुधांशु, उपमहाप्रबंधक, एपीडा, मुंबई ने भाग लिया।

2. **मीट नेट अनुमार्गीय साफ्टवेयर–** 21 नवंबर 2014 को होटल योगी एक्सीक्यूटिव, नवी मुंबई में एपीडा, क्षेत्रीय कार्यालय, मुंबई ने मीट नेट अनुमार्गीय सॉफ्टवेयर पर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम सह बैठक का आयोजन

किया। मांस उद्योग में गुणवत्ता नियंत्रण प्रणाली, उत्तम स्वास्थ्य पद्धतियों तथा मीट नेट प्रणाली पर एक प्रस्तुतीकरण भी दिया गया। श्री उपेन्द्र कुमार वत्स, उपमहाप्रबंधक, एपीडा, डा0 सुधांशु महाप्रबंधक, एपीडा तथा श्रीमती विनीता सुधांशु, सहमहाप्रबंधक, एपीडा ने बैठक में भाग लिया।

3. **यूरोपीय संघ के देशों में आम के निर्यात हेतु निर्यातकों तथा पैक–हाउस के साथ पारस्परिक बैठक:** 26 दिसंबर, 2014 को क्षेत्रीय कार्यालय, मुंबई ने आम के निर्यातकों, पैक हाउस स्वामियों तथा अन्य अंशधारकों के साथ ऊष्म जलीय उपचारक प्रोटोकॉल को अंतिम स्वरूप देने हेतु एक बैठक आयोजित की। बैठक के दौरान, श्रीमती विनीता सुधांशु, सहमहाप्रबंधक, एपीडा, मुंबई द्वारा एपीडा की वित्तीय सहायता योजनाओं पर निर्मित प्रस्तुतिकरण भी दिया गया।

4. **एपीडा बोर्ड बैठक–** 18 नवंबर, 2014 को होटल आर्किड, मुबंई में एपीडा, क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा एपीडा की 82वीं प्राधिकरण बैठक के आयोजन हेतु सभी सुविधाओं का प्रबंध किया गया। एपीडा, प्राधिकरण सदस्यों तथा एपीडा के वरिष्ठ अधिकारियों ने इस बैठक में भाग लिया। बैठक के दौरान अवसंरचना से संबंधित प्रस्तावों, वित्तीय सहायता योजनाओं, व्यैक्तिक निर्यातकों के आवेदन पत्रों तथा नई अनुमोदित योजनाओं हेतु दिशा–निर्देशों के अतिरिक्त प्रशासनिक एवं वित्तीय मुद्दों से संबंधित अन्य प्रस्तावों पर भी विचार–विमर्श किया गया।

5. **एपीडा को वित्तीय सहायता योजनाओं तथा एपीडा की गतिविधियों पर सुग्राही कार्यक्रमों क्रमशः** 13 नवंबर, 2014 को अहमदाबाद तथा दूसरा कार्यक्रम 26 दिसंबर, 2014 को नवी मुंबई में, का अयोजन किया गया।

- **क्षेत्रीय कार्यालय बंगलौर–**

एपीडा, क्षेत्रीय कार्यालय, बंगलौर राज्य में निर्यात से संबंधित केन्द्र तथा राज्य सरकार के विभागों तथा अन्य संस्थानों के नियमित संपर्क में रहता है। यह नए तथा उदीयमान उद्यमियों तक निर्यात के विभिन्न सुअवसरों से संबंधित परामर्शी सेवाएं उपलब्ध कराने में कार्यरत है।

यह कार्यालय नीतियां, प्रक्रियाएं, उत्पाद संवर्धन तथा अन्तर्राष्ट्रीय क्रेताओं इत्यादि से संबंधित व्यापारिक सूचनाओं इत्यादि का प्रचार–प्रसार करने तथा एपीडा की वित्तीय सहायता द्वारा सृजित परिसंपत्तियों के सत्यापन में सक्रिय रूप से कार्यरत है। क्षेत्रीय कार्यालय, बंगलौर ने 1550 पंजीकरण एवं सदस्यता प्रमाणपत्र (आरसीएमसी) तथा 2950.27 मीट्रिक टन बासमती चावल हेतु 104 कंपनियों को पंजीकरण तथा आबंटन प्रमाणपत्र (आरसीएसी) निर्गत किए गए। मांस–संयंत्रों/पैक हाउस तथा परिसंपत्तियों के भौतिक सत्यापन हेतु दौरों का आयोजन एवं भागीदारी के अतिरिक्त वर्ष 2014–15 के दौरान 26.00 करोड़ रूपए का परिवहन अनुदान के रूप में वितरण किया गया था। दक्षिण क्षेत्र में एपीडा के क्रियाकलापों के अन्तर्गत क्षेत्रीय कार्यालय, बंगलौर ने विभिन्न केन्द्र तथा राज्य सरकार के विभागों, वित्तीय संस्थानों, अनुसंधान संस्थाओं तथा कृषि विश्वविद्यालयों इत्यादि द्वारा आयोजित संगोष्ठियों/प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भागीदारी की तथा एपीडा, बंगलौर के क्रियाकलापों एवं वित्तीय सहायता योजनाओं के संदर्भ में प्रस्तुतिकरण दिया।

कार्यक्रम/बैठकें:–

- एपीडा, क्षेत्रीय कार्यालय, बंगलौर ने 14 जून, 2014 को होटल मेस्कॉट, त्रिवेन्द्रम में हॉर्टीनेट के संदर्भ में कृषकों/उत्पादकों/निर्यातकों में जागरूकता लाने हेतु एक दिवसीय सुग्राही कार्यालय आयोजित किया। इस कार्यक्रम को केरल के डब्ल्यूटीओ के समन्वयन से आयोजित किया गया था। क्षेत्र अधिकारी सुश्री थांगम रामचन्द्रन ने कार्यक्रम को समन्वित किया तथा श्री विनोद कुमार कौल, उपमहाप्रबंधक एवं श्री मानप्रकाश

विजय, सहायक महाप्रबंधक, एपीडा के साथ इस कार्यक्रम में भागीदारी की।

- एपीडा ने राज्य बागवानी फार्म, जीनूर कृष्णागिरी, तिमलनाडु में आईक्यूएफ संयंत्र निर्माण हेतु तमिलनाडु बागवानी विकास एंजेसी (टीएएनएचओडीए), चेन्नई के साथ 28.08.2014 को एक समझौता–ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस परियोजना की कुल लागत 961.63 लाख रूपए है जिसमें से एपीडा का योगदान 742.00 लाख रूपए है।

- एपीडा बंगलौर ने दक्षिणी क्षेत्र के निर्यातकों से साथ 7.11.2014 को एक पारस्परिक बैठक को आयोजन किया। मैसर्स प्राइस वाटर हाउस द्वारा संचालित यह बैठक कृषि उत्पादों हेतु निर्यातोन्मुख एकीकृत अवसंरचना पर शोध के संदर्भ में आयोजित की गई थी। बैठक के दौरान डा0 नवनीश शर्मा, उपमहाप्रबंधक (डीजीएम), एपीडा, श्री प्रशांत वाघमारे, सहायक महाप्रबंधक, एपीडा, मैसर्स प्राइस वाटर हाउस के प्रतिनिधि तथा निर्यातक उपस्थित रहे। टीएएस/एफएएस योजनाओं के संबंध में निर्यातकों ने एपीडा को प्रतिपुष्टि दी समान प्रकार की एक अन्य बैठक का आयोजन 06.11.2014 को चेन्नई में भी किया गया। जिसमें सुश्री थांगम रामचन्द्रन ने बैठक में भागीदारी करने वाले निर्यातकों के साथ समन्यवन किया। डा0 नवनीश शर्मा, उपमहाप्रबंधक तथा श्री टी. सुधाकर, उप महाप्रबंधक ने बैठक में भाग लिया। चेन्नई में आयोजित इस बैठक में लगभग 25 निर्यातकों ने भागीदारी की।

- एपीडा, बंगलौर ने 08.10.2014 को आईएफएबी, बंगलौर में टेबल–एग तथा कुक्कुट उद्योग के निर्यातकों के साथ एक पारस्परिक बैठक आयोजित की। श्री सुनील कुमार, महाप्रबंधक, श्री प्रशांत वाघमारे सह महाप्रबंधक, एपीडा, भारतीय पैकेजिंग संस्थान के अधिकारी, वेटरनिटी कॉलेज के विशेषज्ञों तथा निर्यातकों इस बैठक में भाग लिया। कुक्कुट उत्पादों से संबंधित विभिन्न मुद्दों पैकेजिंग मानकों, शीत भंडार गृहों की अवसंरचना आवश्यकताओं तथा वर्गीकरण इत्यादि पर बैठक में विचार–विमर्श किया गया।

- श्री ए. एस. रावत, महाप्रबंधक तथा श्री प्रशांत वाघमारे, सहायक महाप्रबंधक ने कृषि–विपणन तथा कृषि व्यापार विभाग द्वारा त्रिची में 27.10.2014 को आयोजित पारस्परिक बैठक में भाग लिया उनमें उप निदेशक, वैज्ञानिक, केला उत्पादक संघ के प्रतिनिधि, खाद्य प्रसंस्करण, प्रमुख निर्यातक, एयर लाइन (कारगो) प्रचालन, समाशोधन तथा अग्रसारण एजेंट, बागवानी तथा कृषि पादप संगरोधन विभागों के अधिकारीगण तथा कृषि विपणन मेधा तथा व्यापार उन्नयन केन्द्र (एएमआईएनबीपीसी) त्रिरूचिरापल्ली के शोधार्थी इत्यादि सम्मिलित थे। बैठक में सभी अंशधारकों के मध्य समन्वय तथा समाकलन आवश्यकता आधारित अनुसंधान तथा विकास, निर्यातकों के साथ उत्पादकों का संघटन, बाजार अभिगम्यता, परीक्षण सुविधाएं, क्षमता–निर्माण, पैदावार के पश्चात् अवसंरचना इत्यादि पर विमर्श किया गया। त्रिची में पूर्व में भी 16 तथा 17 जून 2014 को एक बैठक का आयोजन किया गया था।

- आम के उत्पादकों तथा निर्यातकों के मध्य एक दिवसीय पारस्परिक बैठक का आयोजन 12 जनवरी, 2015 को श्रीनिवासपुरी तालुक, कोलार में किया गया। इस कार्यशाला का आयोजन आम बोर्ड, बागवानी विभाग, कर्नाटक सरकार तथा एपीडा द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। कृषि/उत्पादक/निर्यातक तथा राज्य बागवानी विभाग के अधिकारी इस पारस्परिक बैठक के दौरान उपस्थित रहे। श्री प्रशांत वाघमारे, सहायक महाप्रबंधक ने एपीडा का प्रतिनिधित्व किया तथा कार्यशाला में आम के उत्पादकों तथा निर्यातकों के मध्य प्रत्यक्ष पारस्परिक संवाद हुआ।

- निर्यात हेतु–शीत भंडार गृह तथा शीत–श्रृंखला की आवश्यकताओं से संबंधित मुद्दों पर विमर्श करने के लिए 10 फरवरी, 2015 को कोचीन में अंशधारकों/निर्यातकों तथा के एसआई अधिकारियों के साथ एक बैठक आयोजित की गई।

दौरे / संगोष्ठियां / सम्मेलन

1. क्षेत्रीय कार्यालय, बंगलौर द्वारा दक्षिणी क्षेत्र में विभिन्न भौतिक सत्यापन, मांस संयंत्र निरीक्षण, आईडीपी दौरे, पैक हाउस मान्यता दौरे, जैविक प्रमाणीकरण एंजेसियों का मूल्यांकन, साझा अवसंरचना परियोजनाओं हेतु भूमि का पूर्व–निरीक्षण, आईएफएबी बोर्ड बैठकों इत्यादि का आयोजन किया गया।

2. डा. नवनीश शर्मा, उप महाप्रबंधक के साथ श्री प्रशांत वाघमारे, सहायक महाप्रबंधक ने 12.09.2014 को त्रिचूर में 'ग्रीनहाउस सोलर ड्रायर तकनीक' पर आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला में भाग लिया।

3. श्री प्रशांत वाघमारे, सहायक महाप्रबंधक ने निर्यातोन्मुख गुणवत्ता के आमों के उत्पादन पर बागवानी विभाग द्वारा चिन्तामणि, कोलर में आयोजित एक दिवसीय कार्यक्रम में प्रस्तुतिकरण दिया। बैठक में श्री विनोद कुमार कौल, उप महाप्रबंधक को विशेषज्ञ के रूप में आमंत्रित किया गया था।

4. श्री प्रशांत वाघमारे, सहायक महाप्रबंधक ने 16.12.2014 को क्षेत्रीय कार्यालय, हैदराबाद का दौरा किया तथा एपीडा की टीएएस योजना पर प्रस्तुतिकरण किया। पारस्परिक विमर्श सत्र के दौरान आन्ध्र क्षेत्र के निर्यातक उपस्थित रहे तथा उन्हें टीएएस प्रक्रिया / टीएएस आवेदन पत्र को भरना / प्रमाण–प्रलेखन इत्यादि के विषय में विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई।

वर्ष 2014–15 के दौरान समूहीकृत विकास बैठकों का आयोजन / भागीदारी–

1. 26.04.2014 को कृष्णागिरी, तमिलनाडु में कृषकों / सरकारी अधिकारीगण के साथ आम के समूहीकृत विकास पर एक बैठक तथा आम के बागान में दौरे का आयोजन किया गया।

2. 15 से 18 जून, 2014 को त्रिची, थेनी, डिन्डुगुल, नमक्काल में केले के समूहीकरण हेतु श्री एस.एस. रावत, महाप्रबंधक, एपीडा की उपस्थिति में समूहीकृत बैठकों तथा फार्म–दौरों का आयोजन किया गया।

3. अनार के समूहीकृत विकास हेतु कृषकों / निर्यातकों / राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ 22 मार्च, 2015 को हिरयूर में समूहीकृत विकास पर श्री ए. एस रावत, महाप्रबंधक एपीडा के सान्निध्य में बैठक का आयोजन किया गया।

4. अन्ननास के समूहीकृत विकास हेतु मैसर्स वाजहानुकुलम एग्रो एवं फ्रूट प्रोसेसिंग कं. के अधिकारियों / निर्यातकों / कृषकों के साथ 23 मार्च, 2015 को मुवट्टुपुज़ा, कोचीन में समूहीकृत विकास पर श्री ए. एस. रावत, महाप्रबंधक एपीडा के सान्निध्य में बैठक का आयोजन किया गया।

5. सब्जी के समूहीकृत विकास हेतु सब्जी एवं फल प्रोत्साहन परिषद केरलम के अधिकारियों / निर्यातकों / कृषकों के साथ 24 मार्च, 2015 को कोचीन में समूहीकृत विकास पर श्री ए.एस. रावत, महाप्रबंधक, एपीडा के सान्निध्य में बैठक का आयोजन किया गया।

घरेलू प्रदर्शनियां–

1) आहार–चेन्नई में आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय खाद्य एवं अतिथि सत्कार मेला, 14–16 अगस्त, 2014,

आहार–चेन्नई में आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय खाद्य एवं अतिथि सत्कार मेला–2014 का आयोजन संयुक्त रूप से भारतीय व्यापार प्रोमोशन संस्थान (आईटीपीओ) तथा तमिलनाडु व्यापार प्रोमोशन संस्थान (टी.एन.टी.पी.ओ) ने 14 से 16 अगस्त, 2014 को चेन्नई व्यापार केन्द्र काम्प्लैक्स, नांदम्बक्कम, चेन्नई में किया। श्रीमती एम.पी. निर्मला, आई. ए. एस., सचिव (खाद्य एवं लोक–आपूर्ति) तमिलनाडु सरकार ने समारोह का उद्घाटन किया।

श्री एन. कुमार, महाप्रबंधक भारतीय व्यापार प्रोमोशन संस्थान, नई दिल्ली भी समारोह के दौरान उपस्थित रहे। एपीडा को 18 वर्ग मीटर का क्षेत्र आबंटित किया गया। दक्षिणी क्षेत्र में कार्यरत निर्यातकों को एपीडा के पंडाल में भागीदारी हेतु निमंत्रित किया गया। देशभर से लगभग कुल 60 प्रदर्शकों ने समारोह में भाग लिया। पंडाल को रंग–बिरंगें पोस्टरों से सुसज्जित किया गया था। आगंतुकों में मुख्य रूप से तमिलनाडु, कर्नाटक, आन्ध्रप्रदेश, केरल तथा देश के सभी क्षेत्रों से आए कृषक, उद्यमी तथा व्यापारी सम्मिलित थे। श्री प्रशांत वाघमारे, सहमहाप्रबंधक तथा क्षेत्रीय कार्यालय, मुंबई के श्री जे. आनंद एवं श्री ई. एन. वीरभद्र ने उपरोक्त समारोह में एपीडा की भागीदारी आयोजित की।

2) इंडिया फूडेक्स–बंगलौर अन्तर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी केन्द्र, बंगलौर– 22–24 अगस्त, 2014:

एपीडा, बंगलौर ने मैसर्स मीडिया टुडे प्रा. लि., नई दिल्ली द्वारा बंगलौर अन्तर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी केन्द्र बंगलौर में 22–24 अगस्त, 2014 को आयोजित खाद्य उत्पादों, प्रसंस्करण तथा पैकेजिंग, मशीनरी तथा संबंधित उद्योगों से संबंधित अन्तर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी इंडिया फूडेक्स 2014 के षष्ठम संस्करण में भाग लिया। इस प्रदर्शनी के प्रायोजित कर्ताओं में एपीडा भी था। एपीडा को 27 वर्ग मीटर क्षेत्र आवंटित किया गया। कर्नाटक सरकार के गृहसचिव ने प्रदर्शनी का उद्घाटन किया।

दक्षिणी क्षेत्र के निर्यातकों को प्रदर्शनी में भाग लेने के लिए निमंत्रित किया गया। तमिलनाडु के कृषक संघ तथा केरल के सरकारी अन्ननास प्रसंस्करण इकाई को निर्यातकों के साथ भागीदारी का अवसर प्रदान किया गया तथा उन्हें उनके उत्पादों को प्रदर्शित करने हेतु एपीडा के स्टॉल में स्थान आवंटित किया गया।

3) 'तमिलनाडु केला मेला'– एपीडा, क्षेत्रीय कार्यालय, बंगलौर ने सीआईआई द्वारा त्रिची में 20 तथा 21 दिसंबर, 2014 को आयोजित 'तमिलनाडु केला मेला' में भाग लिया। एपीडा को प्रमुख स्थान पर एक स्टॉल दिया गया। स्टॉल में पोस्टर तथा डेंगलर लगाए गए। क्षेत्रीय कार्यालय, बंगलौर से श्री टी. सुधाकर, उपमहाप्रबंधक तथा श्री ई.एन. वीरभद्र इस समारोह में दोनों दिन उपस्थित रहे।

अन्तर्राष्ट्रीय दौरे–

बी टी एस एफ प्रशिक्षण कार्यक्रम में भागीदारी हेतु मिलान, इटली का दौरा –13 से 16 अक्टूबर, 2014

श्री **पी.** वाघमारे, सह महाप्रबंधक को मिलान, इटली में 13 से 16 नवंबर 2014 को स्वास्थ्य तथा उपभोक्ता मामले निदेशालय, यूरोपीय संघ द्वारा आयोजित 'सुरक्षित खाद्य हेतु बेहतर प्रशिक्षण' पर प्रशिक्षण कार्यक्रम में भागीदारी हेतु नामांकित किया गया। विभिन्न देशों के लगभग 27 प्रतिभागियों इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में उपस्थित रहे।

विदेशी प्रतिनिधिमंडल के दौरे–

25 जून, 2014 को श्री कार्लोस डोनाटी ने बंगलौर का दौरा किया तथा श्री प्रशान्त वाघमारे, सह महाप्रबंधक के साथ अनुमोदित पैक–हाउस में से एक मैसर्स नामधारी फार्म फ्रेश प्रा. लि., बिदादी, बंगलौर ग्रामीण का निरीक्षण किया। यूरोपीय संघ के सदस्य ने सूचित किया कि वह पैक हाउस से संतुष्ट हैं क्योंकि यूरोपीय संघ के देशों द्वारा निर्देशित सभी मानकों का पालन किया जा रहा है।

तद्परांत अन्य यूरोपीय संघ–एफ वी ओ लेखा परीक्षण दल जिसमें श्री जॉज इर्लिसिक, श्री डेमेट्रोस फ्राग्रोयिनिस तथा श्री समीर राजाबाली बंडाली ने 8 सितंबर, 2014 को बंगलौर तथा 9 सितंबर, 2014

को कोचीन का दौरा किया। श्री प्रशान्त वाघमारे, सहायक महाप्रबंधक ने अतिथि प्रतिनिधिमंडल के साथ 8 सितंबर, 2014 बिबादी, बंगलौर स्थित मैसर्स नामधारी फार्म फ्रेश प्रा0 लि0 पैक हाऊस का दौरा किया तथा 09.09.2014 को कोचीन स्थित मैसर्स वाजहानकुलम एग्रो फ्रूट प्रोसेसिंग कं. लि. का दौरा किया। यूरोपीय संघ लेखा परीक्षण दल ने संघ द्वारा निर्देशित मानकों का पालन करने हेतु कोचीन स्थित साझा पैक हाऊस सुविधाओं की प्रशंसा की । दौरे के दौरान यूरोपीय संघ के दल ने कोचीन तथा बंगलौर विमानपत्तन का भी भ्रमण किया।

विविध गतिविधियां :– एपीडा बंगलौर ने दक्षिणी क्षेत्र के 8 पैक हाउस को अनुमोदन दिया।

- **क्षेत्रीय कार्यालय, हैदराबाद–**

एपीडा, हैदराबाद कार्यालय राज्य में निर्यात से संबंधित केन्द्र तथा राज्य सरकार के विभागों तथा अन्य संस्थानों के नियमित संपर्क में रहता है। यह विद्यमान तथा नए एवं उदीयमान उद्यमियों को विभिन्न निर्यात सुअवसरों के विषय में परामर्शी सेवाएं उपलब्ध कराने में संलग्न है। यह विभिन्न संवैधानिक गतिविधियों तथा आर सी एम सी से संबंधित मुद्दों के कार्य–निष्पादन के अतिरिक्त मांस–संयंत्रों में दौरों का आयोजन तथा भागीदारी एवं पैक हाऊस के अनुमोदन तथा परिसंपत्तियों के भौतिक सत्यापन में भी संलग्न रहता है।

आन्ध्र प्रदेश तथा तेलंगाना राज्यों में एपीडा की गतिविधियों को लोकप्रिय बनाने के क्रम में यह विभिन्न केन्द्र तथा राज्य सरकार के विभागों, वित्तीय संस्थानों, अनुसंधान संगठनों, कृषि विश्व–विद्यालयों इत्यादि द्वारा आयोजित कार्यशालाओं, सम्मेलनों तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भागीदारी करता है तथा एपीडा की गतिविधियों एवं वित्तीय सहायता योजनाओं पर प्रस्तुतिकरण देता है। एपीडा, क्षेत्रीय कार्यालय, हैदराबाद कार्यशालाएं, प्रशिक्षण कार्यक्रम इत्यादि भी आयोजित करता है.।

वर्ष 2014–2015 के दौरान, क्षेत्रीय कार्यालय, हैदराबाद ने 1163.68 मीट्रिक टन बासमती चावल के निर्यात हेतु 211 आरसीएमसी तथा 38 आरसीएसी जारी किए।

❖ **सम्मेलन / कार्यशालाएं / प्रशिक्षण कार्यक्रम।**

1. काकिनाडा बंदरगाह पर आई सी डी सुविधा के स्थापन पर अंशधारकों की बैठक

श्री टी. सुधाकर, उपमहाप्रबंधक ने 28.04.2014 को काकिनाडा बंदरगाह पर आई सी डी सुविधा के स्थापन के अवसर पर अंशधारकों की बैठक में भाग लिया। बैठक का आयोजन कोकोनाडा चैम्बर्स आफ कॉमर्स ने कस्टम्स हाउस एजेंट्स एसोसिएशन, एपी–आई आई सी, निदेशक बंदरगाह, काकिनाड सी पोर्ट्स लि., जी एम आर, एसई जेड, सी डब्ल्यू सी के सहयोग से किया था।

2. निर्यातकों के साथ पारस्परिक बैठक –15.04.2014 तथा 16.04.2014

एपीडा की 12वीं परियोजना वित्तीय सहायता योजना पर क्षेत्रीय कार्यालय हैदारबाद ने निर्यातकों के साथ एक पारस्परिक बैठक क्रमशः 15.04.2014 को चित्तूर में तथा 16.04.2014 को हैदराबाद में आयोजित की । डा. नवनीश शर्मा, उपमहाप्रबंधक एपीडा की 12वीं पंचवर्षीय परियोजना योजना पर प्रस्तुतिकरण दिया। श्री टी सुधाकर, उपमहाप्रबंधक तथा श्री आर. पी. नायडू, वरिष्ठ कार्मिक प्रशासक, क्षेत्रीय कार्यालय, हैदराबाद ने भी बैठक में भाग लिया।

3. उपजोत्तर तकनीक पर कार्यशाला–चित्तूर 17.06.2014–

श्री टी. सुधाकर, उपमहाप्रबंधक ने बागवानी विभाग, आन्ध्रप्रदेश सरकार द्वारा चित्तूर में 17.06.2014 को आम की प्रसंस्करण तथा निर्यात हेतु उपज–उपरांत पैदावार पर आयोजित कार्यशाला में भाग लिया।.

4. खीरा निर्यातकों के साथ बैठक– 16.07.2014

क्षेत्रीय कार्यालय हैदराबाद ने खीरे (घेरकिन) के प्रसंस्करण तथा निर्यात हेतु क्षेत्रीय कार्यालय, हैदराबाद में 16.07.2014 को खीरा–निर्यातकों के साथ एक बैठक आयोजित की। डा. तरूण बजाज, महाप्रबंधक ने बागवानी विभाग के अधिकारियों तथा खीरा निर्यातकों के साथ विमर्श किया।

5. बायोफेक इंडिया प्रदर्शनी, एरनाकुलम, केरल 06.11.2014 से 08.11.2014

एरनाकुलम, केरल में 06.11.2014 – 08.11.2014 के मध्य आयोजित बायोफेक प्रदर्शनी में श्री आर.पी.नायडू, वरिष्ठ कार्मिक प्रशासक ने एपीडा का स्टाल आयोजित किया। इस स्टाल में लगभग नौ कंपनियों के उत्पाद प्रदर्शित किए गए। आगंतुकों तथा निर्यातकों को आवश्यक सूचनाएं भी उपलब्ध कराई गईं।

6. तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय, कोयम्बटूर के शिक्षार्थियों का दौरा–

तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय, कृषि–कॉलेज तथा अनुसंधान संस्थान, कोयम्बटूर के तीस शिक्षार्थियों ने 13.11.2014 को क्षेत्रीय कार्यालय का दौरा किया। इस दौरे के दौरान उन्हें श्री आर.पी. नायडू, वरिष्ठ कार्मिक प्रशासक ने एपीडा की वित्तीय सहायता योजनाएं तथा कृषि–उत्पादनों के निर्यात अवसरों के संबंध में प्रस्तुतिकरण दिया।

7. कृषि उत्पादों हेतु निर्यातोन्मुख एकीकृत अवसंरचना की पहचान हेतु अध्ययन पर बैठक – 06.11.2014

श्री टी सुधाकर, उप महाप्रबंधक ने तमिलनाडु बागवानी विभाग एजेंसी द्वारा चेन्नई में 06.11.2014 को भारत से कृषि उत्पादों हेतु निर्यातोन्मुख एकीकृत अवसंरचना की पहचान हेतु अध्ययन पर आयोजित बैठक में भाग लिया।

8. दक्षिणी राज्यों से गैर–बासमती चावल के निर्यात पर कार्यशाला, हैदराबाद – 05.12.2014

क्षेत्रीय कार्यालय, हैदराबाद ने दक्षिणी राज्यों से गैर–बासमती चावल के निर्यात पर हैदराबाद में 05.12.2014 को एक कार्यशाला आयोजित की। एपीडा के अध्यक्ष ने इस अवसर पर उपस्थित जन को संबोधित किया। कार्यशाला में दक्षिणी राज्यों से लगभग 120 मिल–स्वामियों ने भागीदारी की।

9. शीत–ऋंखला अवसंरचना–मुद्दे उन्नयन पर राष्ट्रीय सम्मेलन, होटल कात्रिय, हैदराबादः 13.12.2014

फेडरेशन ऑफ तेलंगाना एंड आन्ध्र प्रदेश चैम्बर्स ऑफ कार्मस एंड इंडस्ट्री (एफ ए पी सी सी आई) ने शीत–ऋंखला अवसंरचना–मुद्दे तथा उन्नयन पर होटल कात्रिय, हैदराबाद में 13.12.2014 को एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया। श्री टी सुधाकर, उप महाप्रबंधक ने कार्यक्रम में भाग लिया तथा आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराई गई।

10. त्रिची में केला उत्सव :–

त्रिची में 20 तथा 21 दिसंबर, 2014 को सी आई आई द्वारा आयोजित तमिलनाडु केला उत्सव में श्री टी. सुधाकर, उपमहाप्रबंधक ने भाग लिया। इस कार्यक्रम को एपीडा ने प्रायोजित किया था।

11. मीट. नेट सॉफ्टवेयर पर प्रशिक्षण कार्यक्रम

पशुपालन विभाग द्वारा हैदराबाद में 27.01.2015 को मीट.नेट सॉफ्टवेयर पर प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। श्री सुनील कुमार, महाप्रबंधक ने मीट.नेट सॉफ्टवेयर पर प्रस्तुतिकरण दिया।

12. मांस प्रतिनिधि मंडलों का दौरा–

(अ) मलेशिया के मांस प्रतिनिधिमंडल ने मांस प्रसंस्करण संयंत्रों मैसर्स फ्रिजिरियो कॉनसर्वा अल्लाना लिमिटेड तथा मैसर्स अल–कबीर एक्सपोर्टस के निरीक्षण हेतु 21 से 23 मई, 2014 को हैदराबाद का दौरा किया। श्री टी. सुधाकर, उपमहाप्रबंधक, निरीक्षण के दौरान प्रतिनिधिमंडल के साथ रहे।

(ब) मिस्र के मांस प्रतिनिधि मंडल ने 19.08.2014 को क्रमशः मैसर्स फ्रिजिरियो कॉनसर्वा अल्लाना लिमिटेड तथा मैसर्स अल–कबीर एक्सपोर्टस का दौरा किया।

(स) अल्जीरिया के मांस प्रतिनिधिमंडल ने बूचड़खानों तथा मांस संयंत्रों के लेखा–परीक्षण की पुनर्समीक्षा तथा अनुपालन हेतु 13.11.2014 को हैदराबाद में मांस संयंत्रों मैसर्स फ्रिजिरियो कॉनसर्वा अल्लाना लिमिटेड तथा अल–कबीर एक्सपोर्टस का दौरा किया।

14. माननीय मंत्री कृषि बागवानी तथा पशुपालन विभाग के साथ एपीडा, अध्यक्ष की बैठक, हैदराबाद 05.12.2014–

एपीडा, अध्यक्ष ने श्री पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी माननीय मंत्री कृषि (बागवानी तथा पशुपालन विभाग) के साथ हैदराबाद में 05.12.2014 को मुलाकात की तथा तेलंगाना राज्य में विभिन्न साझा अवसंरचना सुविधाओं की प्रतिस्थापना हेतु विचार–विमर्श किया। बैठक के दौरान बागवानी विभाग, कृषि विभाग, पशु–पालन विभाग, कृषि/बागवानी विश्वविद्यालयों इत्यादि के विभागाध्यक्ष उपस्थित रहे।

एपीडा, अध्यक्ष ने श्री जे.एस.वी.प्रास, आई.ए.एस. मुख्य सचिव (उद्योग), आन्ध्र प्रदेश सरकार से भी 05.12.2014 को मुलाकात की तथा बहुमॉडल सुविधा की प्रस्थापना हेतु काकिन्डा बन्दरगाह पर कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (सीओएनसीओआर) को 100 एकड़ भूमि आवंटित किए जाने के संबंध में विचार–विमर्श किया।

- **क्षेत्रीय कार्यालय कोलकाता–**

क्षेत्रीय कार्यालय, कोलकाता, पूर्वी क्षेत्र में भारतीय उत्पादों के निर्यात हेतु बांग्लादेश तथा दक्षिणी–पूर्वी देशों का प्रवेश द्वार है। एपीडा, क्षेत्रीय कार्यालय कोलकाता ने एपीडा के कार्यक्रमों एवं योजनाओं के प्रभावशाली कार्यान्वयन हेतु विभिन्न केन्द्र/राज्य सरकार के विभागों तथा विश्वविद्यालयों के साथ बेहतर समन्वय किया। क्षेत्रीय कार्यालय, कोलकाता ने एपीडा के विकास कार्यक्रमों, वित्तीय सहायता योजनाओं, परिवहन सहायता योजनाओं तथा इस क्षेत्र में विभिन्न कृषि–निर्यात क्षेत्र में गुणवत्ता विकास एवं अवसंरचना विकास हेतु बाजार विकास सहायता से संबंधित सूचनाओं का प्रचार प्रसार करने हेतु व्यैक्तिक निर्यातकों के साथ बैठकें की तथा विभिन्न व्यापार मेलों/प्रदर्शनियों एवं संस्थानात्मक कार्यक्रमों में भागीदारी की ।

क्षेत्रीय कार्यालय, कोलकाता ने 255 आर सी एम सी तथा 22 आर सी एसी (बासमती चावल हेतु) जारी किए।

सम्मेलन/बैठकें एवं कार्यशालाएं–

वर्ष के दौरान, क्षेत्रीय कार्यालय, कोलकाता ने 116 बैठकों, सम्मेलनों तथा कार्यशालाओं में भाग लिया जो पश्चिम बंगाल तथा उड़ीसा में आयोजित की गई थीं। इनमें जागरूकता तथा निर्यातोन्मुखी विषयों को सम्मिलित किया गया तथा संभावित निर्यातकों कों सहायक महाप्रबंधक, एपीडा, वरिष्ठ अधिकारियों तथा राज्य सरकार के विशेष कार्य–अधिकारियों के साथ–साथ उद्योग परिसंघों यथा पी एफ आई एवं होर्ट

विभाग, आई सी सी, ए पी आई सी ओ एल, सी आई आई, एफ आई ई ओ, पी एच डी चैम्बरों बीसी के वी विश्वविद्यालय इत्यादि के प्रतिनिधियों ने संबोधित किया।

एपीडा द्वारा पूर्वी क्षेत्र में घरेलू व्यापार मेलों को प्रदान की गई सहायता–

वर्ष के दौरान, क्षेत्रीय कार्यालय, कोलकाता ने आई सी सी तथा पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा 26–28 फरवरी, 2015 को कोलकाता में आयोजित घरेलू व्यापार मेला "एग्री होर्टी फूड फेस्ट–2015" में सक्रिय रूप से भागीदारी की । मेले में आगंतुकों को क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा एपीडा की गतिविधियों तथा योजनाओं के विषय में जानकारी उपलब्ध कराई गई।

इसके अतिरिक्त क्षेत्रीय कार्यालय, कोलकाता ने चारों पूर्वी क्षेत्र के राज्यों में विभिन्न आयोजकों द्वारा आयोजित किए गए 19 घरेलू व्यापार मेलों /सम्मेलनों/कार्यशालाओं में भागीदारी/उपस्थिति दर्ज कराई।

एपीडा द्वारा सहायता–प्राप्त साझा अवसंरचना परियोजनाएं–

(अ) विधाननगर, सिलीगुड़ी, जिला दार्जलिंग, प. बंगाल में अन्ननास हेतु उपजोत्तर संचालन सह नीलामी केन्द्र परियोजना समाप्त हो चुकी थी तथा प्रचालन हेतु उद्यत थी परन्तु कुछ समस्याओं के कारण नोडल एंजेसी द्वारा इस सुविधा के समुचित उपयोग को सुनिश्चित नहीं किया जा सका। हालाँकि नोडल एंजेसी, सिलीगुड़ी जलपाईगुड़ी विकास प्राधिकरण (एस जे डी ए), ने सूचित किया है कि परियोजना के रख–रखाव तथा संचालन हेतु उनके द्वारा भागीदार का चयन किया जा चुका है। इस परियोजना का प्रचालन बहुत शीघ्र आरंभ होने की संभावना है।

(ब) "जिला बोलनगीर, ओडिशा के तितलागढ़ में "सब्जियों हेतु एकीकृत पैक–हाऊस" को एपीडा द्वारा अनुमोदित किया जा चुका है तथा कार्य लगभग समाप्ति की ओर है एवं अंतिम रूप से भौतिक सत्यापन शेष है।

(स) बारासात, पश्चिम बंगाल में "ताजी सब्जियों हेतु एकीकृत पैक–हाउस" का प्रचालन आरंभ हो चुका है। किन्तु कतिपय तकनीकी समस्याओं के कारण, उपरोक्त का सुधार तथा रख–रखाव का कार्य जारी है।

(द) "बागडोग्रा विमान पत्तन पर पेरिशिएबल उत्पादों हेतु पेरिशिएबल कारगो हेतु केन्द्र" का निर्माण कार्य समाप्त हो चुका है यद्यपि इसका प्रचालन आरंभ होना अभी शेष है। नोडल एजेंसी द्वारा प्रचालन तथा रख–रखाव (ओ एंड एम) एजेंसी के चयन की प्रक्रिया जारी है।

(च) "कोलकाता विमानपत्तन पर पेरिशिएबल कारगो हेतु केन्द्र" पूर्णरूपेण से प्रचालित है। हालाँकि, ताजे फल तथा सब्जियों के निर्यातकों के लाभ हेतु परामर्श दिया गया है।

एक नए पैक हाउस को मान्यता–

बारासात, पश्चिम बंगाल मं एपीडा द्वारा बागवानी पैक–हाउस मैसर्स केवेन्टर एग्रो लिमिटेड को यूरोपीय संघ के देशों में ताजी सब्जियों एवं पान के पत्तों के निर्यात हेतु आई पी एच के रूप में मान्यता दी गई है।

निरीक्षण, पैक–हाउस के भौतिक सत्यापन तथा क्षेत्र भ्रमण–

वर्ष के दौरान 21 निरीक्षण/भौतिक सत्यापन किए गए।

डी जी सी आई एस आंकड़ों का चयन–

एपीडा, कोलकाता कार्यालय नियमित रूप से प्रमुख उपभोक्ता – वस्तुओं पर डी जी सी आई एस से व्यापार आंकड़े तथा एपीडा उत्पादों पर आठ अंकों का एच एस कोड एकत्रित करके विश्लेषण–उद्देश्यों हेतु इन्हें एपीडा मुख्यालय में अग्रसरित करता रहा है। इसके अतिरिक्त यह क्षेत्रीय एपीडा तक आंकड़ों के निश्चित समयावधि में प्रचार–प्रसार हेतु डी जी सी आई एंड एस अधिकारियों के नियमित संपर्क में रहता है। हाल ही में, डी जी सी आई एंड एस ने आयात/निर्यात के आंकडे ऑनलाइन भी उपलब्ध कराना आरंभ कर दिया है।

राजभाषा हिन्दी में कार्य–

एपीडा कर्मी श्री एस. के. मंडल, एई को आधिकारिक भाषा में प्रशिक्षण दिया गया। उन्होनें दोनों पाठ्यक्रमों क्रमशः "प्रवीण " तथा "प्राज्ञ" को सफलतापूर्वक पूरा किया। राजभाषा हिन्दी में कार्यों को किया गया तथा वर्ष 2014–15 के दौरान 299 लघु विवरण, 41 पत्रावली जारी किए गए तथा 72 फाइलों पर कार्य किया गया।

- **क्षेत्रीय कार्यालय गुवाहाटी–**

  चीन के प्रतिनिधि मंडल के साथ उत्तरपूर्वी क्षेत्र के मांस तथा प्रसंस्कृत खाद्य क्षेत्र के निर्यातकों के साथ बैठक का आयोजन–

  23 दिसंबर, 2014 को गुवाहाटी में आयोजित एक बैठक में चीन के प्रतिनिधिमंडल के समक्ष एपीडा ने प्रस्तुतिकरण दिया। एपीडा ने प्रतिनिधि मंडल को उत्तर–पूर्वी क्षेत्र के संभावित उपज के संबंध में सूचित किया तथा उन्हें मांस एवं प्रसंस्कृत खाद्य क्षेत्र के निर्यातकों से परिचित कराया गया। एपीडा द्वारा प्रतिनिधि मंडल को सुअर इत्यादि पर एन आर सी जैसे महत्वपूर्ण संस्थानों में ले जाया गया।

भूटान के प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक–

भूटान के एक आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल ने अक्टूबर, 2014 में एपीडा के क्षेत्रीय कार्यालय, गुवाहाटी का दौरा किया जहां गुवाहाटी में आधारित सुअर प्रसंस्करणों के साथ एक बैठक आयोजित की गई। भूटान का प्रतिनिधि मंडल सुअर–उत्पादों से प्रभावित था तथा वे देश से सुअर निर्यात हेतु इच्छुक थे।

संगोष्ठी तथा कार्यशालाएं–

क्षेत्रीय कार्यालय, गुवाहाटी ने असम के मारीगांव में कृषि विभाग तथा असम राज्य कृषि विपणन बोर्ड के सहयोग से 'लाल चावल' के निर्यात पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया जिसमें उद्यमी, कृषक तथा निर्यातकों इत्यादि ने क्षेत्र से निर्यात को बढ़ावा देने हेतु भागीदारी की। 'लाल चावल' असम की विशेषता है जिसमें उच्च एन्थोसियानिन पाया जाता है जिसे स्वास्थ्य के लिए अति उत्तम माना जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में इस प्रजाति के चावल को निर्यात किए जाने में तीव्र दर से वृद्धि दर्ज की गई है।

जैविक उत्पाद–

एपीडा ने गुवाहाटी में उत्तर पूर्वी क्षेत्र हेतु जैविक मिशन उत्पाद पर 18 अगस्त, 2014 को एक कार्यशाला का आयोजन किया जिसमें निर्यातकों, जैविक प्रमाणीकरण निकायों, कृषकों तथा राज्य सरकार के अधिकारियों ने भाग लिया। इस कार्यशाला का उद्घाटन असम के कृषि मंत्री द्वारा किया गया तथा इस अवसर पर कृषि मंत्रालय के नियुक्त सचिव विशिष्ट अतिथि थे। उन्होंने उपस्थित जन को भारत में जैविक कृषि के संभावित अवसरों के बारे में बताया। एपीडा के अध्यक्ष ने सिक्किम राज्य द्वारा इस संदर्भ में किए गए प्रयासों की सराहना की तथा उन्होंने

कहा कि उत्तर पूर्व के अन्य राज्यों को भी जैविक कृषि को प्रोत्साहित करने हेतु समान प्रयासों को अपनाना चाहिए।

पुष्पोत्पादन–

उत्तर–पूर्वी क्षेत्र में पुष्पोत्पादन को प्रोत्साहित करने हेतु उत्तरपूर्वी, एपीडा ने उत्तरपूर्वी क्षेत्र के प्रमुख पुष्प–उत्पादन करने वाले राज्यों यथा मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड तथा सिक्किम के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक आयोजित की। इस संदर्भ में एपीडा, अध्यक्ष की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन 19.06.2014 को किया गया। इस बैठक में विभिन्न मुद्दों जैसे संभावनाएं तथा समस्याओं पर विमर्श किया गया। तत्पश्चात् इस पर एक विस्तृत टिप्पणी तैयार की गई तथा उसे मंत्रालय के विचारार्थ प्रेषित किया गया।

अवसंरचना विकास–

एपीडा ने मिजोरम, मणिपुर, सिक्किम तथा अरूणाचल प्रदेश की राज्य सरकारों के साथ निर्यात के क्षेत्र में नई संभावनाओं को तलाशने तथा उत्तर–पूर्वी क्षेत्र से ईडीएफ–एनडीआर योजना के तहत निर्यात को बढ़ावा देने हेतु सामान्य अवसंरचना परियोजनाओं की आवश्यकता के संदर्भ में तथा एपीडा की वित्तीय समायता योजना में सामान्य अवसंरचना विकास सुविधा के अर्न्तगत उपलब्ध कराने हेतु विचार–विमर्श किया। मिजोरम सरकार ने संतरे तथा जाते अदरक हेतु आइजोल में पैक–हाऊस की स्थापना हेतु परियोजना प्रस्ताव भी प्रस्तुत किया। मणिपुर सरकार ने भी माओ में पैक–हाऊस के निर्माण हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया।

एपीडा
APEDA

कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण
(वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार)

Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority
(Ministry of Commerce & Industry, Govt. of India)

तीसरी मंजिल, एनसीयूआई बिल्डिंग, 3 सीरी सांस्थानिक क्षेत्र, अगस्त क्रांति मार्ग, (खेल गांव के सामने), नई दिल्ली – 110016
दूरभाषः 26513204, 26513219, 26526186 | फैक्सः 26534870 | ई–मेलः headq@apeda.gov.in

3rd floor, NCUI Building, 3 Siri Institutional Area, August Kranti Marg (Opp. Asiad Village), New Delhi-110016
Phone: 26513204, 26513219, 26526186, Fax: 26534870, E-mail:headq@apeda.gov.in

Saffron Communications